उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्
(प्रवेश परीक्षाओं का संचालन और
प्रमाण पत्र व डिप्लोमा का प्रदान किया जाना)

विनियमावली 2016

छात्र विनियमावली 2016

कार्यालय सचिव उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की (हरिद्वार)।

पंजीकृत

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य
राजकीय/महिला/ग्रामीण/सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थान्,
उत्तराखण्ड।

संख्या– 4058 /उप्राशिप/अधि0/छात्र विनि0 2016 दिनांक मार्च 09, 2017

विषयः– उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (प्रवेश परीक्षाओं का संचालन और प्रमाणपत्र व डिप्लोमा का प्रदान किया जाना विनियमावली 2016 का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में हर्ष के साथ अवगत कराना है कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–1435/XLI/2016-45/15 दि0 23 नवम्बर 2016 द्वारा तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1435/XLI-1/2016-45/2016 दिनांक 17 अक्टूबर 2016 द्वारा अधिसूचित "**उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (प्रवेश परीक्षाओं का संचालन और प्रमाणपत्र व डिप्लोमा का प्रदान किया जाना विनियमावली–2016**" के प्रख्यापन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः प्रख्यापित 'छात्र विनियमावली 2016' की दो प्रतियाँ संलग्न कर इस आशय से आपको प्रेषित है कि कृपया एक प्रति छात्र पुस्तकालय में सुरक्षित रखें। दूसरी प्रति संस्था/कार्यालय/छात्र अनुभाग में अवलोकनार्थ एवं अनुपालनार्थ परिचालन करायें।

कृपया संस्था में छात्रों का प्रवेश, सैत्रिक परीक्षायें, सैत्रिक अंक, सत्रांत परीक्षा, कैरीओवर अंक, कक्षोन्नति, बैक पेपर, देय अवसर, अंकतालिका एवं डिप्लोमा अवार्ड आदि के संबंध में 'छात्र विनियमावली 2016' में दिये गये प्राविधानानुसार अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्न–यथोपरि।

(हरि सिंह)
सचिव।

तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1

अधिसूचना

17 अक्टूबर, 2016 ई0

संख्या 1435/XLI–1/2016–45/2016–श्री राज्यपाल महोदय, "उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003" की धारा 16 व 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियमों को अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (प्रवेश परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण–पत्र व डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 2016

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली "उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (प्रवेश परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण–पत्र व डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली, 2016" है।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में–

(क) "शैक्षणिक वर्ष" से किसी वर्ष में प्रथम जुलाई को प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष की तीस जून को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(ख) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ग) "परिषद्" से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की (हरिद्वार) अभिप्रेत है;

(घ) "निदेशक" से निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल) अभिप्रेत है;

(च) "प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष" से वह विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सम्बद्ध संस्था हो;

(छ) "समिति" से इस विनियमावली के प्रयोजनों के लिये परिषद् द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(ज) "प्रायोजक" से बैठकों को संयोजित करने के लिये नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "संरक्षक" से किसी अभ्यर्थी के प्रवेश के लिये किसी आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित संरक्षक अभिप्रेत है;

(ट) "प्रधानाचार्य" से किसी सम्बद्ध संस्था के प्रधान अभिप्रेत है;

(ठ) "व्यक्तिगत अभ्यर्थी" से ऐसे अभ्यर्थी अभिप्रेत है, जो किसी संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अपेक्षित उपस्थिति संख्या के बिना प्रवेश चाहता है;

(ड) "अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम" से परिषद् द्वारा समय–समय पर अवधारित अध्ययन के पाठ्यक्रम अभिप्रेत है;

(ढ) "सत्र" से वह अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिये कोई संस्था शैक्षिक वर्ष के दौरान शिक्षण के लिये खुला हो;

(ण) "सत्रीय अंकों" से कक्षा या पाठ्यक्रम के लिये किसी परीक्षा से सम्बन्धित सत्रीय कार्य के लिये आवंटित अंकों अभिप्रेत है;

(त) "अनुसूची" से इस विनियमावली से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

अध्याय–दो

3. प्रवेश और परीक्षायें

(क) ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षाओं का संचालन जिन्होंने किसी सम्बद्ध संस्था में डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र या अन्य शैक्षिक उपाधियों के लिये विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो तो उसके प्रदान किये जाने के लिये उसे परिषद् द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ेगा।

(ख) परीक्षा वर्ष में दो बार अर्थात् एक बार अप्रैल/मई के महीने में और दूसरी बार अक्टूबर/नवम्बर के महीने में या ऐसे दिनांकों को, जैसा नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित की जाय, आयोजित की जायेगी।

(एक) वार्षिक आधार पर चलने वाले पाठ्यक्रम अप्रैल/मई की परीक्षायें व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के साथ–साथ नियमित अभ्यर्थियों के लिये होगी। अक्टूबर, नवम्बर की परीक्षायें केवल अन्तिम वर्ष

के बैक पेपर के अभ्यर्थियों के लिए ही होगी। इनका परिणाम आने के 03 माह के अन्दर विशेष बैक पेपर परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(दो) अर्द्ध वर्ष (सिमेस्टर) के आधार पर चलने वाले पाठ्यक्रम मई/जून की परीक्षायें समस्त सेमेस्टरों के व्यक्तिगत छात्रों के साथ–साथ द्वितीय, चतुर्थ और छठे सेमेस्टरों के नियमित छात्रों के लिये होगी। अक्टूबर/नवम्बर की परीक्षा पुराने सेमेस्टरों के बैक पेपरों एवं व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के साथ–साथ पहले, तीसरे और पाँचवे सेमेस्टर के नियमित छात्रों के लिये होगी।

(ग) परीक्षा ऐसे केन्द्रों पर और ऐसै दिनांकों को और ऐसे समयपर होगी जैसा परिषद् समय–समय पर विनिश्चय करें। अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए बैक पेपर परीक्षा के सिवाय मुख्य परीक्षा के सही दिनांक परीक्षा के प्रारम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व परिषद् से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं को अधिसूचित किये जायेंगे। परीक्षा समस्त केन्द्रों पर एक साथ होगी।

(घ) वार्षिक योजना के अधीन सम्मिलित होने वाले अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए बैक पेपर की परीक्षा और सेमेस्टर योजना के अधीन दोनों परीक्षाओं का सही दिनांक और केन्द्र परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व समस्त सम्बन्धित छात्राओं को अधिसूचित की जायेगी।

4. (1) विभिन्न विषयों के परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

(एक) सैद्धान्तिक (थ्यौरी),

(दो) प्रयोगिक (प्रैक्टिकल),

(तीन) आवधिक (टर्म/सत्रीय) कार्य,

(चार) मौखिक,

(पाँच) परियोजना, और–

उपर्युक्त में से प्रत्येक पृथक शीर्षकों के आधीन या एक साथ जैसा कि परिषद् द्वारा पाठ्य विषय और परीक्षा योजना में विदित किया जाय सम्मिलित होंगे।

(2) मौखिक और प्रयोगिक परीक्षाओं का संचालन परिषद् द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त परीक्षक द्वारा किया जायेगा जैसा परीक्षा समिति समय–समय पर विहित करें। लिखित परीक्षा प्रश्न–पत्रों के माध्यम से होगी और प्रश्न–पत्र उस प्रत्येक केन्द्र पर, जहाँ परीक्षा का आयोजन किया जा रहा हो, एक साथ समय से दिये जायेंगे।

5. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये:

पात्रता :

(1) परिषद् द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये किसी सम्बद्ध संस्था द्वारा भेजा गया प्रत्येक अभ्यर्थी प्रति वर्ष/प्रति सेमेस्टर विहित दिनांक तक–

(क) ऐसी परीक्षा के लिये विहित फीस का भुगतान करेगा, और

(ख) वह उस विषय या उन विषयों का जिसे/जिन्हें वह परीक्षा के लिये वर्तमान योजना के अनुसार, जिसके अधीन वह नियमों के अनुसार पात्र है, उल्लेख करेगा/करेगी।

(2) किसी अभ्यर्थी को किसी परीक्षा के लिये तब तक नहीं भेजा जायेगा जब तक कि संस्था का प्रधान परिषद् के सचिव को प्रत्येक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न कर दे:–

(क) कि संस्था में उसका प्रवेश परिषद् के नियमों और विनियमों के अनुसार है;

(ख) कि उसने किसी सम्बद्ध संस्था में पूरी अवधि तक नियमित रूप से पाठ्यक्रम को पूरा किया है;

(ग) कि उसने वास्तव में प्रयोग (एक्सपेरीमेन्ट्स) किये हैं और अपने जनरल परियोजना/डिजाइन कार्य आदि को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है;

(घ) कि उसने कक्षा कार्य और नियतकालिक परीक्षाओं अर्थात् सत्रीय परीक्षाओं के लिये, आवंटित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त किये हैं, जैसा कि विनियम 23 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अधीन अपेक्षित है;

(ङ) कि वह कक्षाओं में उपस्थित रहा है, जैसा कि विनियम 6 के अधीन अपेक्षित है;

(च) कि उसने अपनी सभी सम्पूर्ण शिक्षण फीस, देयों और साधित्र, उपस्कर की टूट–फूट, पुस्तकालय की पुस्तकों की क्षति के सम्बन्ध में अन्य बकाया देयों या किसी अन्य प्रकीर्ण फीस या देयों का भुगतान कर दिया है;

(छ) कि उसने अपने अध्ययन में संतोषजनक प्रगति दिखाई है और वह अच्छे आचरण और चरित्र का है;

(ज) कि वह भारत में किसी सरकार या नियत प्राधिकारी या कानून, परीक्षा लेने वाले प्राधिकारी या परिषद् द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने से किसी अवधि के लिये विवर्जित नहीं किया गया है।

(3) उप विनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन अपेक्षिति प्रमाण–पत्र, परीक्षा के लिये भेजे गये अभ्यर्थियों का आवेदन–पत्र अग्रसारित करते समय और उप विनियाम (2) के खण्ड(ख) से (ज) के अधीन अपेक्षित प्रमाण पत्र विनियम–6 के अधीन यथा निहित उपस्थिति की गणना के पश्चात् उस शैक्षणिक वर्ष /सेमेस्टर में प्रायोगिक परीक्षा, या सैद्धान्तिक परीक्षा, जो भी पहले हो, के प्रारम्भ होने के विलम्बतम दस दिन पूर्व प्रस्तुत किये जायेंगे।

परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में उन सम्बद्ध संस्थाओं के संबध में जो 1200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर है, जहां शीतकालीन छुट्टियां मनाई जा सकती हों, उप विनियम(2) के खण्ड (ख) से (ज) के अधीन अपेक्षित प्रमाण–पत्र, उपस्थिति गिनने के तुरन्त पश्चात् लिखित या प्रायोगिक परीक्षा, जो भी पहले आयोजित की जाय, के प्रारम्भ होने के तीन दिन पूर्व तक भेजा जाएगा।

(4) ऐसे मामलों को जहां छात्रों के प्रयोगशाला के प्रैक्टिकल में आवधिक कार्य (टर्म वर्क), सत्रीय कार्य, अपूर्ण हो और प्रधानाचार्य पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र दें और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनुमति दें निदेशक या सरकार उस संस्था के विरुद्ध अग्रतर कार्यवाही के लिये सूचित किया जाएगा।

(5) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे उप विनियम(2) के खण्ड (ख) से (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करने के कारण किसी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति न दी गई हो, उसे परीक्षा मे उपस्थित होने की तब–तक अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, जब तक कि वह समस्त शर्तों को फिर से पूरा न कर लें।

(6) परिषद् द्वारा आवेदन–पत्र और फीस स्वीकार कर लेने और अनुक्रमांक (रोल नम्बर) का आवंटन कर दने पर भी परीक्षा में आवेदक के कार्य (परफारमेंस)/परिणाम को रद्द कर दिया जायेगा, यदि बाद में यह पाया जाय कि आवेदक उक्त वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश के लिए और उक्त परीक्षा मे संम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं था अन्यथा अग्रेतर प्रधानाचार्य आवेदक के प्रमाणीकरण के लिये निदेशक/सरकार द्वारा अनुशासिक कार्यवाही के लिये भागी होगा।

(7) आवेदन–पत्र को अग्रसारित कर देने, परीक्षा फीस का भुगतान कर देने और परिषद् द्वारा परीक्षा के लिए अनुक्रमांक (रोल नम्बर) का आवंटन कर देने पर भी प्रचार्य उन अभ्यर्थियों का आवेदन–पत्र वापस लेने के लिए सक्षम होगा जो सुसंगत विनियमों की किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहते हैं।

6–उपस्थिति–(1) कोई सम्बद्ध संस्था विनियम 18 के अधीन परीक्षा और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों सहित विहित अवधि के लिये प्रत्येक सत्र के दौरान खुली रहेंगी।

(2) किसी अभ्यर्थी को अंतिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण–पत्र परीक्षा के लिए तब तक नहीं भेजा जाए जब तक कि उसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत न रही हो।

परन्तु प्रधानाचार्य, यह समाधान होने पर कि अभ्यर्थी बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा या वह पूर्णरूप से अपने नियंत्रण के बाहर के कारणों से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सका, उपस्थिति की कमी को पांच प्रतिशत तक माफ कर सकता है।

(3) उप विनियम (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा के किसी वर्ष/सेमेस्टर के किसी अभ्यर्थी को किसी परीक्षा के लिए तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि अध्ययन के सुसंगत वर्ष में उसकी उपस्थिति, प्रत्येक विषय में जिसके अन्तर्गत ट्यूटोरियल्स प्रयोगशाला कार्य, ड्रांइग आफिस, कर्मशाला (वर्कशाप), क्षेत्र कार्य (फील्ड वर्क) या स्टूडियो भी है, कम से कम 75 प्रतिशत न रही हो, परन्तु यह कि–

(एक) प्रधानाचार्य, यह समाधान हो जाने पर कि अभ्यर्थी बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा था वह पूर्णरूप से अपने नियंत्रण से बाहर कारणों से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सका, प्रत्येक विषय में उपस्थिति में कमी को पांच प्रतिशत तक माफ कर सकता है;

(दो) प्रत्येक मामले में उपस्थिति के प्रतिशत की संगणना उपस्थिति की समस्त अवधि की संख्या को उपविनियम (4) के अधीन वास्तव में उपस्थित होने वाली अवधि की संख्या द्वारा विभाजित करके और इस प्रकार प्राप्त भिन्न को 100 से गुणा करके, की जायेगी।

(4) ऐसी किसी संस्था में, जिस पर यह विनियमावली होती है इसके पश्चात् यथा उपबंधित रीति से उपस्थिति थी, गणना सत्र के प्रारम्भ के दिनांक से जैसा विनियम 18 में विनिर्दिष्ट है; शैक्षिणिक सत्र के 31 मार्च तक और 1200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थिति पर्वतीय संस्थाओं/क्षेत्र के सम्बद्ध की दशा में, जहां शीतकालीन अवकाश मनाया जा सकता है, लिखित परीक्षा के प्रारम्भ के तीन दिन पूर्व के दिनांक तक की जायगी, परन्तु किसी सम्बद्ध संस्था, जिससे अभ्यर्थी बाद में संबधित विभागाध्यक्ष की सहमति से निदेशक के प्राधिकार के अधीन किसी दूसरी संस्था में स्थानान्तरित हो गया हो, में किसी कक्षा विशेष में किसी अभ्यर्थी की उपस्थिति की गणना उस संस्था में, जिसमें वह बाद में अध्ययन करता हो, उस कक्षा विशेष में उपस्थिति की गणना के प्रयोजनार्थ की जायगीः

परन्तु द्वितीयतः ऐसे अभ्यर्थी की जो किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम से भिन्न)के प्रथम या द्वितीय या तृतीय या अंतिम वर्ष की कक्षा, प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ या पंचम या षष्ठ सेमेस्टर में या तो नये अभ्यर्थी के रूप में या विनियम–22 के अधीन प्रथम या द्वितीय या तृतीय या अन्तिम वर्ष की कक्षा/प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ या पंचम या षष्ठ सेमेस्टर में पुनरावर्तक(रिपीटर) के रूप में प्रवेश चाहता है कि उपस्थिति की गणना भी सत्र/सेमेस्टर के प्रारम्भ के दिनांक से की जायगीः

परन्तु तृतीयतः ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों में, जिनके रोके गये परिणाम बाद में मुक्त कर दिये जायं, उपस्थिति की गणना कक्षा में आने की दिनांक से या उनके रोके गये परिणाम के मुक्त होने के दिनांक से पन्द्रहवें दिन इनमें जो भी पहले हो, से की जायगी।

(5) किसी अभ्यर्थी की उपस्थिति की गणना केवल उस अवधि के लिये की जायेगी जिसमें वह उपस्थित रहा हो/रही हो, परन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी सत्र में जिसके दौरान उसे प्रधानाचार्य के आदेश पर अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए पाठ्येत्तर क्रियाकलाप में भाग लेने के लिये भेजा जाय, सात दिन से अनधिक अवधि के लिये उपस्थिति की अनुमति दी जायेगीः

परन्तु यदि अवधि सात दिन से अधिक हो तो प्रधानाचार्य द्वारा निदेशक से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगीः

परन्तु यह और कि उस अवधि के लिये जिसके दौरान संस्था द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों के लिये कोई शैक्षिक भ्रमण(टूर) आयोजित किया जाय, कोई उपस्थिति अंकित नहीं की जायेगी।

(6) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् विशेष परिस्थितियों में विहित उपस्थिति में कमी को उप विनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अनुसार संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा दी गयी 05प्रतिशत माफी के अतिरिक्त 10प्रतिशत तक माफी दे सकता हैः

परन्तु किन्हीं असामान्य परिस्थितियों मे ऐसी माफी किसी विशेष संस्था/संस्थाओं को दी जायेगी और निदेशक पहल करेगा और प्राचार्य द्वारा दी गयी माफी के अतिरिक्त विहित उपस्थिति में कमी को माफ करने के लिये बोर्ड को निर्देश करेगा।

7–एन0सी0सी0/शारीरिक प्रशिक्षण/खेल–कूद/माडलमेकिंग /अनुशासन

(एक) किसी सम्बद्ध संस्था में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र से चार पाठ्येत्तर क्रियाकलाप अर्थात एन0सी0सी0/शारीरिक प्रशिक्षण/खेल–कूद /माडल मेकिंग में से किसी एक विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी। पाठ्येत्तर क्रिया–कलापों और अनुशासन के लिये पृथक–पृथक अंक आवंटित किये जायेंगेः

परन्तु इस प्रकार दिये गये विकल्प के पाठ्येत्तर क्रिया–कलापों और अनुशासन में अकों

के आवंटन में मार्गदर्शक सिद्धान्त 2:3 के अनुपात में होना चाहिये:

परन्तु यह और कि परिषद् द्वारा समय–समय पर किये जा सकने वाले अग्रता परिवर्तन के अधीन यह होगा:

परन्तु यह भी कि एन0सी0सी0/शारीरिक प्रशिक्षण/ खेल–कूद/नमूना तैयार करने (माडल मेंकिग) के लिए समय न मिल सकने के कारण उन्हें अशंकालिक पाठ्यक्रमों के मामलों में अनुशासन के लिए 100 प्रतिशत अंक आवंटित किये जाएंगें।

(दो) संस्था का प्रधान छात्रों को इस प्रकार विकल्प दिये गये पाठ्येत्तर क्रिया–कलापों में उनके वास्तविक कार्य संपादन(परफार्मेन्स) के अनुसार अंक देगा।

(तीन) प्रधानाचार्य द्वारा अनुशासन के लिये विभागाध्यक्ष और उस शाखा के संकाय के सदस्यों से परामर्श करके प्रायोगिक और सैद्धान्तिक(थ्यौरी) परीक्षा के समाप्त होने पर अंक दिये जायेंगे, परन्तु अंको के दिये जाने में उत्पन्न किसी विवाद के मामलें में प्रधानाचार्य उस शाखा के, जिसमें विवाद उत्पन्न हुआ है, संकाय के कम से कम तीन सदस्यों की एक समिति बनायेगा और उस समिति की, जिससे अभ्यर्थी संबंधित हो, संस्तुति के अनुसार अंक देगा।

(चार) जहां किसी नियमित छात्र के लिए अनुशासन के अंको में पर्याप्त कटौती की गई हो, वंहा ऐसी कटौती के कारण अभिलिखित किये जायेंगे और उसे अंतिम डिप्लोमा परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात् छः मास तक परिरक्षित किया जायेगा।

(पांच) व्यक्तिगत अभ्यर्थियों को पूर्ववर्ती वर्ष /वर्षों/सेमेस्टर/सेमेस्टरों में नियमित छात्र होने के नाते पहले से अनुशासन के लिये दिये गये अंकों का पुनरावलोकन किया जा सकता है जो आगामी परीक्षा में और उस सुसंगत शैक्षणिक सत्र में जिसका वह परीक्षार्थी हो, उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा:

परन्तु पहले से दिये गये अनुशासन के अंकों में कमी किये जाने के मामले मे विभागाध्यक्ष /सहायक केन्द्र अधीक्षक/निरीक्षकों/ अध्यापकों के परामर्श से प्रधानाचार्य/केन्द्र अधीक्षक अंकों का पुनरावलोकन करेगा और उसके कारणों की सूचना, जो अभिलिखित किये जायेंगे, परिषद् को देगा।

8–पाठ्यक्रम में परिवर्तन

(1) फार्मेसी पाठ्यक्रम से भिन्न अभियांत्रिकी शाखाओं के पाठ्यक्रम में और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में जहां, पाठ्यचर्या और प्रवेश अर्हता की अपेक्षा के कारण पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती, परिवर्तन की अनुमति उन छात्रों को जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् के माध्यम से किसी भी सम्बद्ध संस्था में प्रथम वर्ष में पहले से ही प्रविष्ट हो, कठोरतापूर्वक आगामी अर्हकारी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर दी जा सकती है।

(2) संयुक्त प्रेवश परीक्षा के माध्यम से भिन्न शाखाओं में प्रविष्ट छात्रों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति कठोरतापूर्वक उन् सामान्य (कामन) शाखाओं के लिए आयोजित अर्हकारी प्रवेश परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर प्राविधिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से दी जायेगी।

(3) उपर्युक्त उप विनियम (1) और (2) से भिन्न शाखाओं में अर्थात् योग्यता के माध्यम से, जिसकी गणना परिषद् द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित रीति से और अन्तिम अर्हकारी परीक्षा के आधार पर की जाएगी, प्रविष्ट छात्रों को पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा, जिसमें प्रवेश कठोरतापूर्वक योग्यता की गणना के इसी आधार पर प्रदान किया जाता है।

(4) उपर्युक्त उप विनयम (1), (2) और (3) के अधीन प्रविष्ट छात्रों ऐसे अभ्यर्थियों को भी, जिनके अध्ययन का पाठ्यक्रम और प्रवेश अर्हता सामान्य नहीं है, पाठ्यक्रम के एक–दूसरे से परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(5) प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रविष्ट किसी अभ्यर्थी को उनके द्वारा परिषद् की परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रपत्र भर दिये जाने और उस प्रपत्र के परिषद् कार्यालय में प्राप्त हो जाने के पश्चात् पाठ्यक्रम में परिवर्तन की कोई अनुमति नही दी जायेगी।

9–किसी सम्बद्ध संस्था में प्रवेश

(1)(क)– विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के वार्षिक /सेमेस्टर आधार पर जिसके लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा, प्रवेश परीक्षा लेती है, प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश को प्रवेश परीक्षा के संचालन के दिनांक के 70वें दिन तक पूरा कर लिया जायेगा।

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट भिन्न वार्षिक/सेमेस्टर आधार पर पाठ्यक्रमों के लिए प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश को प्रति वर्ष 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) किसी भी दशा में किसी सम्बद्ध संस्था में प्रथम वर्ष के कक्षाओं में प्रवेश प्रति वर्ष 31 अगस्त के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(घ) किसी कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता को विनियम 10 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(ङ) संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या परिषद् या निदेशक द्वारा विहित किसी अन्य ढंग से किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के पश्चात् उसे पुनः उसी ढंग से प्रवेश लेना पड़ेगा यदि वह उस सत्र /सेमेस्टर में अपना अध्ययन जारी नहीं रखता और उस सत्र/सेमेस्टर में प्रवेश के दिनांक से निरन्तर दो महीने से अधिक समय तक संस्था से गायब रहता है।

(2) विनियम 12 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रवेश सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों द्वारा किया जाएगा/किये जाएंगें। किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को जो इस नियमावली के अधीन विहित अर्हतायें नहीं रखता है, परिषद् की परीक्षा में सम्मलित होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी भले ही उसे संस्था में प्रविष्ट कर लिया गया हो।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडढ़ा वर्ग और अन्य अभ्यर्थियों के लिए सीटें समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षित की जाऐंगी, यदि सरकार द्वारा यथा आरक्षित श्रेणियों में उनके सम्बन्धित कोटा से अपेक्षित संख्या में छात्र उपलब्ध न हों तो इस प्रकार रिक्त होने वाली आरक्षित सीटों को अनारक्षित माना जायेगा और उन्हें परिषद् की अनुज्ञा से योग्यता के आधार (अर्ह अभ्यर्थियों की सूची से) पर भरा जायेगा।

4. अशंकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश निम्नलिखित शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा–

(एक) अंशकालिक पाठयक्रम में प्रवेश उन संस्थाओं मे किया जायेगा जहां सम्बन्धित शाखा में नियमित पाठयक्रम को चलाने के लिये सुविधाये विद्यमान हैं। कोई संस्था परिषद् की अनुज्ञा के बिना और निदेशक से प्राप्त संस्तुतियों के बिना कोई अंशकालिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं करेगा

(दो) अंशकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल निम्नलिखित कन्सर्न के नियमित सेवाकालीन वास्तविक कर्मचारियों तक प्रतिबन्धित होगा:–

क) कारखाना अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उद्योग ;
(ख) प्राविधिक संस्था ;
(ग) राज्य सरकार/निगम/उपक्रम
(घ) केन्द्रीय सरकार/निगम/उपक्रम
(ड.) स्थानीय निकाय
(च) सरकारी विभाग:

परन्तु अंशकालिक पाठयक्रम में प्रवेश चाहने वाला कर्मचारी उपर्युक्त कन्सर्न में से किसी एक में प्राविधिक क्षेत्र में लगा हों

(तीन) अनुभव–अग्रतर, अंशकालिक पाठयक्रम में प्रवेश चाहने वाला कर्मचारी प्रवेश के समय गत दो वर्षो से उपर्युक्त उप पैरा (दो) में यथा निर्दिष्ट सेवा में आवश्यक रूप से लगा हो। उपर्युक्त सेवा में दो वर्ष के अनुभव की गणना प्रवेश के कैलेण्डर वर्ष के 30 जून को की जायेगी:

परन्तु पात्रता के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने पश्चात् प्राप्त अनुभव की ही गणना की जायेगी। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण की अवधि की गणना अनुभव के लिये की जायेगीं।

(चार) उपर्युक्त खण्ड (दो) और (तीन) में निर्धारित शर्तों के समर्थन में प्रमाण–पत्र तभी स्वीकार्य होगा यदि वह सेवायोजक द्वारा जारी किया जाय।

5– (क) वार्षिक आधार पर कक्षोन्नति द्वारा किसी पाठ्यक्रम के द्वितीय या तृतीय/अन्तिम वर्ष की कक्षाओं में सीधे प्रवेश की अनुज्ञा सिवाय इसके नहीं दी जायेगी कि अभ्यर्थी ने किसी भी संबद्ध संस्था में अध्ययन किया है और परिषद् द्वारा संचालित यथास्थिति, प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष

की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण की है, बशर्ते वह विनियम 25 के अधीन प्रवेश का पात्र हो और उसे विनियम 17 के अधीन अन्तरण के लिये अनुज्ञा दी जाये:

परन्तु द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अन्तिम वर्ष की अगली उच्चतर कक्षा में प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने पर या प्रति वर्ष जुलाई के तीसरे सोमवार को, इनमें जो भी पहले हो, पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना अनन्तिम रूप से दिया जायेगा फिर भी संबधित पूर्ववर्ती कक्षा की परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात् ही प्रवेश का अनुसमर्थन किया जायेगा:

परन्तु यह और कि कोई अभ्यर्थी अनन्तिम प्रवेश के लिये दावा नहीं कर सकेगा यदि वह अनुतीर्ण होता है और अगली उच्चतर कक्षा में कक्षोन्नति के लिये सुसंगत विनियम का समाधान नहीं करता।

(ख) सेमेस्टर आधार वाले किसी पाठयक्रम के द्वितीय/चतुर्थ/पष्ठ या तृतीय पंचम सेमेस्टर में कक्षोन्नति द्वारा सीधे परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना पूर्ववर्ती परीक्षा की समाप्ति के दसवें दिन या उसके पश्चात् किन्तु 15वें दिन के पश्चात् नहीं अन्तिम रूप से किया जायेगा। प्रवेश का अनुसमर्थन सम्बन्धित पूर्ववर्ती कक्षा की परीक्षा के परिणाम के घोषणा के पश्चात् ही किया जाएगा।

परन्तु यह और कि कोई अभ्यर्थी अनन्तिम प्रवेश का दावा नहीं करेगा, यदि वह अनुत्तीर्ण होता है और अगले उच्चतर सेमेस्टर में कक्षोन्नति के लिए सुसंगत विनियम का समाधान नहीं करता।

(ग) उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अनुसार, संचालित परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् अगली उच्चतर कक्षा/सेमेस्टर में कक्षोन्नति और प्रविष्ट समस्त कक्षाओं/सेमेस्टर के छात्रों की अगली उच्चतर कक्षा सेमेस्टर के लिये उपस्थिति की गणना पूर्ववर्ती कक्षा/सेमेस्टर के परिणामों की घोषणा को ध्याान में रखते हुये, उनके सत्र /सेमेस्टर, जिसके कार्यक्रम को परिषद् ने अनुमोदित कर दिया हो, के प्रारम्भ के दिनांक से की जायेगी।

(6) उच्चतर कक्षा/सेमेस्टर में कक्षोन्नति –

तीन वर्ष या अधिक की अवधि के लिये वार्षिक आधार पर चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिये किसी अभ्यर्थी को यथास्थिति, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ वर्ष की कक्षा में प्रवेश(ज्वाइन) तभी दिया जायेगा जब वह क्रमशः प्रथम वर्ष और द्वितीय/तृतीय वर्ष में विहित समस्त विषयों को उत्तीर्ण कर ले या उसे विनियम 16 के अुनसार सत्र(टर्म) रखने की अनुमति दी जाये।

10–न्यूनतम अर्हता –विभिन्न प्राद्यौगिक अभियंत्रण शाखाओं या अन्य पाठ्यक्रमों में किसी भी प्रमाण–पत्र/ डिप्लोमा या पी0जी0डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा समय–समय पर यथा विहित न्यूनतम अर्हता, निम्नलिखित स्पष्टीकरण के अधीन होते हुये रखनी होगी। इस समय परिषद् द्वारा प्रवेश के लिये विहित न्यूनतम अर्हता अनुसूची चार में दी गयी है।

स्पष्टीकरण–(एक) (क) किसी अभ्यर्थी को विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये अनुज्ञात अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के योग्य बनाने के प्रयोजनार्थ इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन बनाये गये और समय–समय पर यथा संशोधित नियमों के अधीन समतुल्य घोषित परीक्षा लेने वाले किसी निकाय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के प्रयोजन के लिये विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की हाई स्कूल परीक्षा के समतुल्य समझाा जायेगा।

माध्यमिक परिषदों के इण्टरमीडिएट प्रक्रमों पर किसी अन्य परीक्षा को भले ही उक्त अधिनियम के अधीन विद्यालयी परिषद्, उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो, डिप्लोमा /प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड को निर्देश करने की आवश्यकता होगी।

(ख) किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी परिषद् से 10+2 परीक्षा की दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिये जाने और 10+2 योजना की हाई स्कूल या दसवीं कक्षा को समय–समय पर यथा संशोधित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन समकक्ष मान्यता प्रदान किये जाने पर उसे डिप्लोमाा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजना के लिये समकक्ष समझा जायेगा।

(दो) विज्ञान, जिसमें सामान्य विज्ञान और भौतिक विज्ञान सम्मिलित है।

(तीन) हाई स्कूल के पश्चात् विज्ञान और अंकगणित के साथ उत्तीर्ण पूर्व विश्वविद्यालय परीक्षा को यदि वह एक सार्वजनिक परीक्षा (पब्लिक इक्जामिनेशन) है, हाई स्कूल के बराबर माना जायेगा।

(चार) किसी तीन वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम के भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र और गणित के साथ बी0एस0सी0 भाग–एक परीक्षा को यदि वह एक सार्वजनिक परीक्षा (पब्लिक इक्जामिनेशन) है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ इण्टरमीडियट परीक्षा के समतुल्य माना जायेगा।

(पांच) कृपांक, जो किसी अभ्यर्थी को परीक्षा लेने वाले किसी विशेष निकाय के नियमों के अधीन उत्तीर्ण होने के लिये उसे पात्र बनाने के लिये विषय (विषयों) या सम्पूर्ण योग में दिये जाये, सम्पूर्ण योग में या प्रवेश के लिये सम्पूर्ण अंको के प्रतिशत की गणना करने में जोड़े नहीं जायेगें।

(छः) भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ माध्यमिक परीक्षा के पश्चात् पूर्व–अभियन्त्रण परीक्षा को, यदि वह सार्वजनिक परीक्षा (पब्लिक इक्जामिनेशन) हो, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ इण्टरमीडिएट के बराबर समझा जायेगा।

(सात) ऐसा अभ्यर्थी भी, जिसने अर्हकारी परीक्षा में विज्ञान या गणित या दोनों नहीं लिया है किन्तु यथाविहित अपेक्षित विषयों को लेकर उसी उच्चतर परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, प्रवेश के लिये पात्र होगा।

(आठ) ऐसे अभ्यर्थी के सम्बन्ध में जिसने पूरक (कम्पार्टमेन्टल) अभ्यर्थी के रूप में अर्हकारी या उच्चतर परीक्षा उन्हीं विषयों को लेकर, जैसा विहित है, उत्तीर्ण की है, अंकों के प्रतिशत की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

अनुपूरक परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों में उस विषय में, जिसमें उसे अनुपूरक परीक्षा के लिये पात्र घोषित किया गया था, प्राप्त अंको को निकालने के पश्चात् जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त योग पर प्रतिशत निकालने के लिये विचार किया जायेगा।

(नौ) परिषद् के अधीन किन्हीं पाठ्यक्रमों के लिये अपेक्षित न्यूनतम पात्र शैक्षिक अर्हता का सबूत सम्बन्धित सम्बद्ध संस्था के प्राचार्य को किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश चाहने के लिये संस्था द्वारा विहित अन्तिम दिनांक(दिनांकों) के पश्चात् नहीं और किसी भी दशा में प्रति वर्ष के 31 अगस्त के पश्चात् नहीं प्रस्तुत किया जायेगा।

11–प्रवेश के लिए आयु सीमा/न्यूनतम अर्हता–(1)–माध्यमिक प्राविधिक प्रमाणपत्र और अशंकालिक पाठ्यक्रम से भिन्न समस्त डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के लिए अभ्यर्थी की आयु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले के सिवाय, जिनके मामले में उच्चतर आयु सीमा तीन वर्ष से शिथिलनीय होगी, प्रवेश के कलेन्डर वर्ष के 30 जून को इसे सम्मलित करके 14 वर्ष से कम और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जो उद्योग द्वारा प्रायोजित हों और नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहते हों उच्चतर आयु सीमा बिना किसी सीमा के परीक्षा समिति द्वारा अग्रत्तर शिथिलनीय होगी। ऐसे मामलों को अभ्यर्थी से प्राप्त समर्थनकारी साक्ष्य के साथ अपनी संस्तुति सहित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित किया जायेगा।

(2) बालिका अभ्यर्थियों के लिए कोई उच्चतर आयु सीमा नहीं होगी।

परन्तु अशंकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए या विभिन्न शाखाओं में नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थी के लिए कोई उच्चत्तर आयु सीमा नहीं होगी।

(3) अशंकालिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु प्रवेश के कलेन्डर वर्ष को 30जून को उसे सम्मलित करते हुए 21 वर्ष से कम नहीं होगी।

(4) अभ्यर्थी को विहित अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

12(1)– माध्यमिक प्राविधिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड, द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था की जूनियर हाईस्कूल की परीक्षा या आठवीं कक्षा या माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा या माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी और गणित के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

(2) प्रवेश के कलेन्डर वर्ष के 30 जून को उसे सम्मलित करके 13 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में उपर्युक्त विहित उच्चतर आयु सीमा तीन वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

परन्तु यह और कि अन्य योग्य अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा को प्रधानाचार्य द्वारा दो वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है।

(3) प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए

13.स्वीकृत सीटें

(1)–प्रत्येक कक्षा/सेमेस्टर और पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या परिषद् द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) प्रथम वर्ष की कक्षा/प्रथम सेमेस्टर में स्वीकृत सीटों को किसी विशेष पाठ्यक्रम में रिपीटरों कों सीट देने के लिए दस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। नया प्रवेश ऐसी सीमा तक प्रतिबन्धित होगा जिससे कि उन रिपीटरों को सीट मिल जाये जो प्रवेश चाहते हों और प्रयोजन के लिए पात्र हो :

परन्तु निदेशक सीटों में ऐसी बढ़ोत्तरी के लिए आदेश दे सकता है जैसा किसी प्रवेश को नियमित करने के लिए आवश्यकता पाया जाये और उसको सूचना एक सप्ताह के भीतर परिषद् को भेजी जायेगी।

(3) द्वितीय/तृतीय/अंतिम वर्ष की कक्षा/प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ या पंचम या छठे सेमेस्टर के मामले में स्वीकृत सीटों में किसी वृद्धि की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी :

परन्तु कक्षा/सेमेस्टर के ऐसे समस्त रिपीटरों को जो इस विनियमावली के अधीन पुनः प्रवेश के लिए पात्र हो और निचली कक्षा से पदोन्नत छात्र को एक सीट दी जाएगी भले ही वह स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक हो जाये।

(4) ऐसी सीटों को जो कोलम्बो योजना या अन्य तत् सदृश्य सहायता मिशनों के अधीन भारत सरकार की नामितों के लिए अपेक्षित हों उपविनियम (2) और (3) के अधीन नहीं गिना जाएगा और वे उसमें विहित सीमा से ऊपर और अधिक होगें।

(5) किसी संस्था में चलाये जाने वाले अंशकालिक पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में प्रवेश निम्नलिखित शर्तों पर होगी–

किसी संस्था में चलाये जाने वाले अंशकालिक पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अधिकतम संख्या 60सीटों से अधिक या विशेष पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में जिसमें प्रवेश किया/किये जाने हों को लेकर कुल इनटेक के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, फिर भी ड्राप आउटमामलों को ध्यान में रखते हुए 10प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य है:

परन्तु पाठ्यक्रमों के किसी शाखा में प्रवेश किये गये अभ्यर्थियों की संख्या उस शाखा विशेष में नियमित पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृत इनटेक से अधिक नहीं होगी। यदि उस शाखा विशेष में नियमित पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत इनटेक 60 से कम है।

(6) समस्त पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष मे प्रवेश नियम 9 के अधीन सर्वथा विहित आधार पर किया जायेगा और समय–समय पर विभिन्न श्रेणियों के लिये सीटों के लिए आरक्षण के संबंध में राज्य/केन्द्र सरकार किये गये उपबन्धों के अधीन होगा। इस समय विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण अनुसूची पांच के अनुसार होगा।

14–माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम–माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में और द्वितीय वर्ष से अंतिम वर्ष में कक्षोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्रधानाचार्य द्वारा की जाएगी और उसकी घोषणा की जाएगी:–

(क) किसी अभ्यर्थी को प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उपस्थिति नहीं होने दिया जायेगा, जब तक कि उसने 75 प्रतिशत उपस्थिति प्राप्त न कर ली हो।

परन्तु प्रधानाचार्य वास्तविक आधार पर जहां कि उसका समाधान हो जाए पांच प्रतिशत तक माफ कर सकता है।

परन्तु यह और की उपथिति की गणना सत्र के प्रारम्भ के दिनांक से लिखित परीक्षा के दिनांक के तीन सप्ताह पूर्व के दिनांक तक की जायेगी।

(ख) अंग्रेजी भाषा को छोड़कर समस्त भाषाओं में परीक्षा का माध्यम हिन्दी होगा।

(ग) किसी अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि वहः–

(एक) समूह क के प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता।

परन्तु यह कि विज्ञान (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) विषय के छात्र को लिखित और प्रायोगिक में अलग–अलग न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना होगा। जैसा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा विहित है।

(दो) समूह क में कुल 33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लें।

(तीन) समूह ख में प्रत्येक लिखित विषय (जिसमें सेशनल भी सम्मलित हैं) में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त न कर लें।

(चार) समूह ख में प्रत्येक प्रायोगिक (जिसमें सेशनल भी सम्मलित हैं) में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त न कर लें।

(पांच) अनुशासन/एन0सी0सी0/खेल–कूद अंको के साथ–साथ और सम्मलित करते हुए समूह 'क' और समूह 'ख' के समस्त लिखित, प्रायोगिक और सेशनलों में कुल कम से कम 45 प्रतिशत अंक न प्राप्त कर लें।

(घ) निदेशक, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएंगें सुपात्र मामलों में उपर्युक्त किन्हीं शर्तों को शिथिल कर सकता है, और उनकी सूचना एक सप्ताह के भीतर परिषद् को भेज दी जायेगी।

(ड़) प्रथम या द्वितीय कक्षा के छात्रों को पदोन्नति के सम्बन्ध में माध्यमिक प्राविधिक शिक्षा के प्रधानाचार्य के विनिश्चय की घोषणा प्रतिवर्ष विलम्बतः माह जून के अन्त तक की जायेगी और उपखण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम होगी।

समूह 'क' : माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा हाईस्कूल (विज्ञान समूह परीक्षा के लिए) विहित समस्त विषय अर्थात् : 1–हिन्दी, 2– अग्रेंजी, 3– गणित, 4–विज्ञान

समूह 'ख' : व्यवसायिक व्यापारों में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद् द्वारा कर्मशाला संगणना और विज्ञान जिन्हें परिषद् की परीक्षा 1981 से "ग्रामीण प्रौद्योगिकी" विषय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है, के सिवाय किसी व्यवसाय विशेष के लिए औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान परीक्षा के लिए विहित समस्त विषय अर्थात्–

1. व्यापार थ्योरी 2. व्यापार प्रयोगिक 3. कर्मशाला संगणना और विज्ञान, 4. विनियम–5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए नियमित अभ्यर्थी की अभियंत्रण रेखांकन (ड्रांइग) पात्रता ।

15–वार्षिक आधार पर चलने वाले पाठ्यक्रम – (1)–डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थी से इस विनियमावली के अधीन उसके लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को पूरा करने और कम से कम एक सत्र की अवधि के लिए परिषद् से सम्बद्ध किसी अभियंत्रण या प्रौद्योगिक संस्था में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से परिषद् द्वारा संचालित प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने और तत्पश्चात् कम से कम एक सत्र की अवधि के लिए परिषद् से सम्बद्ध किसी औद्योगिक या प्रौद्योगिक संस्था में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(3) चार वर्ष की अवधि के अंशकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मामले में अभ्यर्थी से तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा के लिए परिषद् द्वारा

संचालित द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने और तत्पश्चात् कम से कम एक सत्र की अवधि के लिए परिषद् से सम्बद्ध किसी अभियंत्रण या प्रौद्योगिक संस्था में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(4) डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से परिषद् द्वारा संचालित तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं के, यथास्थिति प्रथम या द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण होने और तत्पश्चात् कम से कम एक सत्र की अवधि के लिए परिषद् से सम्बद्ध किसी अभियंत्रण या प्रौद्योगिक संस्था में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

(5) अंतिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण–पत्र परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से उसके लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखने की अपेक्षा की जायेगी। परिषद् से सम्बद्ध किसी माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय द्वारा संचालित द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने और तत्पश्चात् कम से कम एक सत्र की अवधि के लिए बोर्ड से सम्बद्ध माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाऐगी।

(6) पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को आवश्यक अर्हता प्राप्त करना चाहिए जैसा कि समय–समय पर परिषद् द्वारा विहित की जाये और तत्पश्चात् कम से कम एक सत्र की अवधि के लिए उस पाठ्यक्रम में परिषद् से सम्बद्ध किसी अभियंत्रण संस्था में उपस्थित होना चाहिए।

16–बैक–पेपर – (1) वार्षिक पाठ्यक्रम के डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को बैक पेपर से सम्बद्ध रखने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु यह कि वह लिखित और/या प्रयोगात्मक दो विषयों से अधिक में अनुत्तीर्ण न हो।

परन्तु सैमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों का प्रत्येक छात्र अधिकतम 06विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर तृतीय/पंचम सैमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त कर सकेगा अर्थात 06 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर छात्र को कक्षोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी तथा ऐसे छात्र को आगामी सत्र में अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को भी यदि वह खण्ड (1) में दिये गये विषयों से अधिक विषयों में उत्तीर्ण नहीं हुआ है तो उसे बैक पेपर से संबद्ध रखने की अनुज्ञा दी जायेगी और अगले कक्षा/सेमेस्टर में पदोन्नति किया जायेगा, परन्तु यह है कि :–
(एक) उसने कुल 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, और सेशनल कार्य में उत्तीर्ण रहा हो।
(दो) वह विनियम 9 के उपविनियम 6 की शर्तों को पूर्ण करता हो।

(3)प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के ए.आई.आर. आर. (जिन्हें सम्बन्ध रखने की अनुज्ञा दी गयी हो) अभ्यर्थियों को अगले उच्चतर कक्षा में पदोन्नति किया जाएगा और उसे अगले उच्चतर कक्षा की सम्मपूर्ण परीक्षा के साथ–साथ बैक पेपर/पेपरों में आगामी वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए फिर भी प्रथम वर्ष की कक्षा के मामलें में बैक पेपर के लिए पात्र घोषित अभ्यर्थी परिषद् द्वारा संचालित होने वाले आगामी विशेष बैक पेपर परीक्षा में उपस्थित होगें और जब तक कि वे ऐसे बैक पेपर/पेपरों में स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण नहीं होते तब तक उन्हें डिप्लोमा नहीं दिया जायेगा।

(4) किसी कक्षा/सेमिस्टर में बैक पेपरों की संख्या, बैक पेपरों की सीमा, जैसा उपर्युक्त उप विनियम(1) में दिया गया है, से अधिक नही होगी। परन्तु अंतिम वर्ष की कक्षा में कक्षोन्नति किये जाने वाले अभ्यर्थी क्रमशः प्रथम वर्ष के एक या दो बैक पेपर द्वितीय वर्ष के दो या एक बैक पेपर ले सकते हैं। किसी भी दशा में वह प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष के दो बैक पेपर से अधिक ले सकेगा, किन्तु उपर्युक्त उपविनियम (एक) में दी गयी पात्रता सीमा से अधिक नहीं।

परन्तु यह और कि चार वर्षीय अंशकालीक /नियमित पाठ्क्रम के तृतीय वर्ष के अभ्यर्थी भी प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के दो बैक पेपरों से अधिक के लेने के हकदार नहीं होंगें। चार वर्षीय अशंकालीक/नियमित पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष के मामले में तृतीय वर्ष के बैक पेपर के साथ–साथ प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के दो बैक पेपरों

से अधिक की अनुमति, इस तरह से दी जायेगी कि अनुमति बैक पेपरों का योग उपविनियम (एक) में दिये गये बैक पेपरों की पात्रता सीमा से अधिक न हो।

(5) ऐसे अभ्यर्थियों को जो बैक पेपरों को क्लीयर करने के पश्चात अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं मूल वार्षिक परीक्षा के जिसमें वे उपस्थित हुए और बैक पेंपरों के लिए पात्र घोषित किये गये थे, के योग के आधार पर श्रेणी(डिवीजन) दी जायेगी। उनके डिप्लोमा में विनियम 16 के अधीन शब्द लिखें जायेगे।

परन्तु बैक पेपर्स को केवल पास करना आवश्यक है। बैक पेपर की परीक्षा में प्राप्त अंकों को मूल अंकों में नहीं जोड़ा जायेगा।

स्पष्टीकरण–(क) जब कोई अभ्यर्थी पूर्ववर्ती निचली कक्षा के बैक पेपर (पेपरों) के साथ अगली उच्चतर कक्षा के आगामी वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होता है तब–

(एक) बैक पेपर (पेपरों) विनियम 24 के अधीन कृपांक देने के लिए अगली उच्चतर कक्षा का भाग (के भाग) समझा जायेगा(जायेंग), किन्तु कोई कृपांक नहीं दिया जायेगा, यदि अभ्यर्थी केवल बैक पेपर (पेपरों) में जैसी भी दशा हो, उपस्थित होता है। ऐसे मामले में उसे सम्बन्धित लिखित /व्यवहारिक परीक्षा के लिए विहित न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करना होगा।

(दो) उससे बैक पेपर में जिसमें पेपर में जिसमें वह सम्बन्धित लिखित/व्यवहारिक के लिए विहित न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करता है, पुनः उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, भले ही वह अगली उच्चतर कक्षा की आगामी परीक्षा में असफल हो जाये ;

(ख) बैक पेपर इस विनियम के उपबन्धों के लिए एक अपेक्षा के रूप में समझा जायेगा/जायेंगे, अर्थात् अपेक्षाओं की संख्या जिसके अन्तर्गत पूर्ववर्ती निचली कक्षा के बैक पेपर और सम्पूर्ण लिखित पेपर और अगली उच्चतर कक्षा के प्रैक्टिकल भी है, उपर्युक्त उप विनियम (1) एवं (2) में दी गयी संख्या से अधिक नहीं होगे;

(ग) यदि वर्ष की अंतिम परीक्षा अभ्यर्थी बैक पेपर (पेपरो) का विशेषाधिकार अर्जित करता है और विनियम 22 या 25 के अधीन पूर्ण परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अन्यथा पात्र है,तो उसे या तो केवल बैक पैपरों के या पूर्ण परीक्षा में उपस्थित होने का विकल्प होगा। पूर्ण परीक्षा का उसका परिणाम नियमों के अधीन जैसा है, घोषित किया जायेगा ;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों का जिन्होंने पूर्ण परीक्षा के लिए विकल्प किया है और विकल्प का प्रयोग किया है, पुनः विकल्प देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उसी रीति से गुजरना पड़ेगा।

(6)अंतिम वर्ष के ऐसे छात्र, जिनकों केवल बैक पेपरों में उपस्थित होना है–

(एक) भी अवसरों की संख्या की सीमा के अधीन होंगे, जैसा कि विनियम 22 में दिया गया है, और

(दो) भी विनियम 25 के अनुसार वर्तमान योजना के अनुसार विषय(विषयों)में उपस्थित होना पड़ेगा, यदि पाठ्य विवरण में कोई परिवर्तन हो, या

(तीन) उसके समकक्ष विषय में उपस्थित होना पड़ेगा जैसा परिषद् द्वारा विनिश्चत किया गया हो।

7. (ए0एम0ई0) एयर क्राफ्ट मेनटेंनेन्स इंजीनियरिंग कोर्स में डिप्लोमा के अभ्यर्थियों को अगले सेमेस्टर में कक्षोन्नति टर्म रखने की अनुमति दी जायेगी, परन्तु एक लिखित अपेक्षा (थ्योरी रिक्वायरमेंट) विषय से अधिक को अगले सेमेस्टर में न ले जाये।

8. ऐसे अभ्यर्थियों को जो वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए हों केवल आगामी विशेष बैक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

17–संस्था स्थानान्तरण – (1)–नीचे दी गयी शर्तों के अधीन रहते हुए यथास्थिति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष का छात्र–एक सम्बद्ध संस्था से ऐसी दूसरी सम्बद्ध संस्था में जो अध्ययन के उसी पाठ्यक्रम में शिक्षा देती हो, जिसमें ऐसा छात्र पूर्ववर्ती संस्था में पढ़ रहा था, स्थानान्तरण की मांग कर सकता है।

(क) ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में जिनके प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये गये हों संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् केवल योग्यता के आधार पर संस्था के स्थानान्तरण का विनिश्चय करेगी। यह

प्रवेश परीक्षा परिषद् केवल योग्यता के आधार पर संस्था के स्थानान्तरण का विनिश्चय करेगी। यह लाभ केवल उस वर्ष में दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए घोषित किया गया है।

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में जिनको व्यक्तिगत संस्था के स्तर पर योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाय। साधारणतयः स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(ग) द्वितीय, तृतीय या अंतिम वर्ष के छात्रों की दशा में संस्था का प्राचार्य संस्था के स्थानान्तरण के लिए इच्छुक छात्रों से प्रवेश के अंतिम दिनांक के पश्चात् सात दिन के भीतर आवेदन पत्र प्राप्त करेगा। ऐसे छात्र अधिमान क्रम में तीन नाम दे सकते हैं, ऐसे आवेदन पत्रो को पूर्ववर्ती वर्षों में छात्रों द्वारा प्राप्त अंको को अग्रसारित किया जाएगा और विभिन्न शाखाओं में रिक्त सीटों की संख्या भरने के पश्चात् उपर्युक्त दिनांक से एक सप्ताह के भीतर निदेशक को अग्रसारित किया जायेगा। बैक पेपर के साथ उत्तीर्ण घोषित छात्र संस्था के स्थानान्तरण के पात्र नहीं होंगे।

(घ) प्रतिबन्ध यह है कि उस सम्बद्ध संस्था में जिसमें वह जाने का विचार करता है एक सीट रिक्त होना चाहिए।

(ड़) किसी छात्र की शिक्षा सत्र के 15 नवंबर के पश्चात् स्थानान्तरित होने को अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) उपस्थिति और सैशनल अंको द्वारा अनुसूची दो में निर्दिष्ट अंतिम दिनाकों के संबध में भी इस विनियम के अधीन प्रवास (ग्रेट) करने वाले छात्रों को किसी प्रकार के शिथिलीकरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) पूर्ववर्ती संस्था में प्रत्येक विषय में या उसमें प्राप्त व्यवहारिक और सैशनल अंको द्वारा उपस्थिति ऐसे छात्रों की गणना सत्र के दौरान कुल उपस्थिति और सैशनल अंको की गणना करने के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

(4) उपविनियम(1) में निर्दिष्ट स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में प्रत्येक विषय में छात्र द्वारा उपस्थिति और उसमें उसके द्वारा संस्था छोड़ने के दिनांक तक प्राप्त लिखित, व्यवहारिक और सैशनल अंक होगें।

(5) ऐसी संस्था जिसमें छात्र स्थानान्तरण चाहता है, का प्रधानाचार्य उस संस्था के प्रधानाचार्य से जिससे छात्र का स्थानान्तरण किया जाय, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की एक सत्य प्रति प्राप्त करेगा और बाद में उसे यथासम्भव शीघ्र किन्तु स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के जारी किये जाने के 15वें दिन के बाद नहीं मिलेगा।

(6) विनियम के अधीन छात्रों को स्थानान्तरण की अनुज्ञा वाले प्राधिकारी भी ऐसी अनुज्ञा की एक प्रति परिषद् के सचिव को भेजेगा।

18– सत्र–(1) परिषद् से सम्बद्ध अभियंत्रण या प्राविधिक सभागारों में सत्र निम्नलिखित प्रकार से होंगे :–

(क) <u>वार्षिक आधार पर चलने वाले पाठ्यक्रमों के लिये–</u>

(एक) प्रथम वर्ष की कक्षा के लिये– प्रवेश परीक्षा के परिणामों की घोषणा के 30वें दिनांक से आगामी वर्ष की 31 मई तक।

(दो) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले पाठ्यक्रमों से भिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा/योग्यता सूची की घोषणा के 20 दिनांक से आगामी वर्ष के 31 मई तक।

(तीन) चार वर्ष (अंशकालिक) पाठ्यक्रम और अंतिम वर्ष की कक्षाओं या पोस्ट डिप्लोमा के मामले में द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के लिये या ऐसे छात्रों के लिये जिनका परिणाम नियम 28 के अनुसार घोषित किया जाय, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं के परिणामों की घोषणा के पन्द्रहवें दिन से आगामी वर्ष के 31 मई तक :

परन्तु किसी संस्था को किसी सत्र में अध्ययन के 24 सप्ताह पूरा करना अपेक्षित है।

(ख) <u>सेमेस्टर आधार पर चलाने वाले पाठ्यक्रमों के लिये–</u>

(एक) प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर के लिये – कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से 15 दिसम्बर तक।

(दो)(ख) द्वितीय, चतुर्थ और षष्टम सेमेस्टर के लिये– प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर की परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् ग्यारवहां दिन से या

प्रत्येक वर्ष जनवरी के अन्तिम सप्ताह से प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सेमेस्टर में किसी संस्था से प्रशिक्षण के बारह सप्ताह पूरा करना अपेक्षित है।

(2) प्रशासनिक विभाग यदि अपेक्षित हो प्रशिक्षण को पहले ही पूरा करने के लिये छुट्टी /दीर्घावकाश के दिनों संस्था को खोले रह कर प्रशिक्षण के आवश्यक सप्ताहों को परीक्षा के प्रारम्भ के सात दिन पूर्व तक पूरा कर सकता है :

परन्तु प्रत्येक सत्र या सेमेस्टर में परीक्षा की तैयारी के लिये छात्रों को कम से कम सात दिन दिया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक दिन में प्रशिक्षण की नियमित अवधियों और पाठ्येत्तर गतिविधियों के उपरान्त आवंटित शून्य घंटों की अवधियों की संगणना, यदि अपेक्षित हो और यदि सम्भव हो, प्रशिक्षण के अपेक्षित सप्ताहों के पूरा होने की अपेक्षा के प्रति की जायेगी। ऐसे मामलों में संस्था का प्रधानाचार्य, निदेशक के अनुज्ञा मांगेगा और ऐसे अनुज्ञा यदि दी गई तो उसकी प्रति की सूचना परिषद् को भी दी जायेगी।

(3)(क) साधारणतया किसी सम्बद्ध संस्था में प्रथम वर्ष की कक्षा सेमेस्टर में कोई प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारम्भ के पश्चात् नहीं दिया जायेगा। फिर भी आपवादिक मामलों में इसे संयुक्त प्रवेश परीक्षा, परिषद् द्वारा परिणामों की घोषणा के या विनियम 9 के अनुसार किसी संस्था द्वारा घोषित, यथास्थिति प्रवेश परीक्षा या योग्यता सूची की घोषणा के पैंतालीसवें दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

(ख) ऐसा कोई अभ्यर्थी जो अनुत्तीर्ण हो और अन्यथा प्रथम वर्ष की कक्षा/सेमेस्टर में पुनः प्रवेश के लिये पात्र है, अपने सीट के लिये कोई दावा नही कर सकेगा जब तक कि वह स्वंय या लिखित रूप में पिछले वर्ष उपस्थित हुये सम्बद्ध संस्था के प्राचार्य को सत्र के प्रारम्भ के पूर्व रिपोर्ट न करें और नियमित छात्रों के प्रवेश के लिये विहित अंतिम दिनांक तक विहित फीस जमा न कर दें।

(4) समस्त सेमेस्टर कक्षाओं के छात्र उपर्युक्त उपविनियम (तीन) के खण्ड(ख) के अनुसार संचालित परीक्षा के पूरा हाने के पश्चात् अगली उच्चतर कक्षा/सेमेस्टर में कक्षोन्नति किये जायेंगे और अगले उच्चतर कक्षा/सेमेस्टर के लिये उनकी उपस्थिति की गणना उस सत्र के प्रारम्भ के दिनांक से की जायेगी जिसकी अनुसूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

19– सेशनल अंक–सेशनल कार्य जो विनियम 04 के अनुसार प्रशिक्षण के लिए पूर्वापेक्षा है इसके अंक इस विनियमावली में दी गयी किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दिये जायेंगे और परिषद् को ऐसी रीति से, जैसी परिषद् समय–समय पर विहित करे, संसूचित किये जायेंगे।

(2) सेशनल अंक ऐसे विषयों, लिखित या व्यावहारिकों को आवंटित कुल अंकों में से पृथक विषय, लिखित या व्यावहारिक या परियोजाना में दिये जायेंगे और परिषद् को संसूचित किये जायेंगे :

परन्तु यह विनियम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पर लागू नहीं होगा।

परन्तु यह और कि सेशनल अंक वास्तविक कक्षा कार्य और उपस्थिति, जो उस कक्षा के पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्या की पूर्वापेक्षा है, के आधार पर विनियम, 4,5,6 और अन्य सुसंगत विनियमों के अधीन किसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये दिये जा रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी को बिना टर्म वर्क किये और उस कक्षा के पृथक विषयों में सेशनल में उत्तीर्ण हुये बिना कोई डिप्लोमा /प्रमाण–पत्र नहीं दिया जायेगा।

(3) ऐसा अभ्यर्थी जो किसी विषय, लिखित या व्यावहारिक या परियोजना को आवंटित सेशनल अंको का कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्त करने में असफल रहता है, को परिषद् की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायगी।

टिप्पणी– अभ्यर्थियों के अभिभावकों को सेशनल कार्य में अपने वार्डों की प्रगति को अभिनिश्चित करने के लिये सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य से सम्पर्क बनाये रखने की सलाह दी जाती है। किसी छात्र या अभिभावक को उपविनियम (3) के अधीन इस आधार पर देने या

रोकने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा कि सम्बन्धित छात्र या अभिभावक को काई संसूचना नहीं दी गयी थी।

(4) सेशनल अंक परिषद् द्वारा संचालित किसी परीक्षा में किसी विषय में प्राप्त अंकों में नहीं जोड़े जायेंगे किन्तु सीधे महायोग या योग के जोड़ जायेंगे और उन पर डिवीजन के लिये विचार किया जायेगा :

परन्तु विनियम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाणपत्र पर लागू नहीं होगा।

(5) सेशनल अंको की संसूचना परिषद् को पूर्ण संख्याओं में दी जायेगी। जबकि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सेशनल अंको में भिन्नांक है, तो उन्हे अगले उच्चतर संख्या में पूर्णांकित किया जायेगा, जैसा 10.5 को 11 कर दिया जायेगा।

(6) 50 प्रतिशत पर आधारित सेशनल कार्य में न्यूनतम उत्तीर्णांक का अवधारणा करने के लिये भिन्नांक, यदि कोई हो, अंक को अग्रवर्ती पूर्णांक तक अधिक करके छोड़ दिया जायेगा, जैसे 12.5 को 12 कर दिया जायेगा जहाँ अधिकतम 25 हों।

20– अग्रेनीत किया जाना

(1) एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से भिन्न वार्षिक आधार के अधीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए परीक्षा की योजना में अंतिम वर्ष की कक्षा में अंकों को अग्रेनित करने के लिए उपबन्ध निम्नलिखित सीमा तक होंगें।

(क) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के मामलों में–प्रथम वर्ष के योग का 30 प्रतिशत और द्वितीय वर्ष के योग का 70 प्रतिशत।

(ख) दो वर्षीय पाठ्यक्रम के मामले में–प्रथम वर्ष का 50 प्रतिशत।

(ग) चार वर्षीय पाठ्यक्रम और चार वर्षीय अंशकालिक पाठ्यक्रम के मामले में– प्रथम वर्ष के योग का 30प्रतिशत, द्वितीय वर्ष के योग का 30प्रतिशत, या तृतीय वर्ष के योग का 70 प्रतिशत।

(2) परिषद् द्वारा संचालित, यथास्थिति, प्रथम या द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा के योग का 30 प्रतिशत या 70 प्रतिशत भिन्नांकों को, यदि कोई हो, अगली संख्या तक पूर्णांक करके तैयार किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त खण्ड (1) व (2) के अधीन अंको को केवल उन परीक्षाओं के सम्बन्ध में अग्रेनित किया जायेगा, जिनका संचालन परिषद् द्वारा 1960 से आगे किया गया है।

(4) विनियम 28 के अधीन किसी अन्य शाखा में किसी भिन्न परीक्षा में उपस्थिति होने वाले किसी अभ्यर्थी को अंको को अग्रेनित किये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(5) सेमेस्टर आधार के अधीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये परीक्षा की योजना में, अन्तिम वर्ष की कक्षाओं में अंकों को अग्रेनीत किये जाने के लिये उपबन्ध निम्नलिखित सीमा तक होगा :

(एक) प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के योग का 50 प्रतिशत।

(दो) तृतीय, चतुर्थ और पंचम सेमेस्टर और आगे के सेमेस्टर के योग का 100 प्रतिशत। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ए.एम.ई. में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अग्रेनित किया जाना प्रयोज्य होगा, जैसा परिषद् द्वारा डी0जी0सी0ए0 की अपेक्षानुसार समय–समय पर विहित किया जाए।

21– अनुदेश और परीक्षा का माध्यम– सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर जिसके शिक्षण और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगी अन्य समस्त पाठ्यक्रमों के शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिन्दी होगी। तथापि परिभाषिक शब्दों को अग्रेंजी में बनाये रखा जा सकता है,

किन्तु विद्यार्थियों को हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प होगा।

22. अवसरों की संख्या – अवसर, जैसा नीचे दिया गया हैं, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों का उत्तीर्ण करने के लिये अनुमन्य होगें–

(एक) किसी अभ्यर्थी की प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष की परीक्षा अन्तिम वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लियें केवल तीन अवसर (जिसके अन्तर्गत नियमित और प्रावईट दोनों हैं) दिये जायेंगे :

(दो) किसी अभ्यर्थी की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्तिम वर्ष की परीक्षा (ए.एम.ई. पाठ्यक्रम

को छोड़कर) की उत्तीर्ण करने के लिये नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होने के लिये केवल एक अवसर दिया जायेगा:

परन्तु अधिक से अधिक विनियम 25 (1) के अधीन व्यवस्थित अपवाद के अनुसार नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होने के लिये दो और नियमित अवसर तभी दिये जायेंगे जब –

(क) किसी अभ्यर्थी को उपस्थिति में कमी के कारण या सेशनलों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने में असफल रहने के कारण किसी कक्षा में रोक लिया गया है;

(ख) किसी अभ्यर्थी की परीक्षा किसी परीक्षा में अुनचित साधनों का प्रयोग किये जाने के कारण विनियम 29(1) के अधीन रद्द कर दी गयी हो और वह पुनः प्रवेश पाने की इच्छा रखता हो फिर भी प्राइवेट छात्र के मामले में पूर्ववर्ती वर्ष के उसके सेशनलों को अग्रणीत किया जायेगा;

(ग) कोई अभ्यर्थी बीमारी के कारण या उसके नियंत्रण के बाहर अन्य वास्तविक कारण से किसी परीक्षा में आंशिक या पूर्ण रूप से उपस्थित होने में असमर्थ रहा हो;

(घ) पाठ्य विवरण में परिवर्तन हुआ हो;

किसी भी अभ्यर्थी को उस कक्षा में जिसमें वह असफल घोषित किया गया था, पुनः प्रवेश लेना होगा।

(तीन) एक अवसर गिना जायेगा यदि अभ्यर्थी का नाम किसी सम्बद्ध संस्था के रजिस्टर पर उस कलेण्डर वर्ष के जिसमें वह ज्वाइन करता है 30 दिसम्बर के बाद इस तथ्य के होतें हुये भी बना रहे कि वह परीक्षा में उपस्थित हुआ था या नहीं (जिसके अन्तर्गत उपस्थिति में कमी या सेशनल कार्य में पचास प्रतिशत अंकों को प्राप्त करने में असफल रहने के कारण या अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने के कारण किसी परीक्षा को रद्द करने के कारण रोक लिये जाने के मामले भी है) :

परन्तु विनियम 25 के अधीन प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थिति को एक अवसर के रूप में गिना जायेगा और यह कि ऐसे अवसरों का लाभ बिना किसी अन्तराल के क्रमिक रूप में उठाया जाय।

(चार) किसी अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम की निरन्तरता बनाये रखना होगा और किसी भी परिस्थिति में अपने सम्यक् अवसर को लेने में कोई गैप या ब्रेक किसी भी मामले में दो वर्ष से अधिक नहीं होगा। अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की कक्षा में असफल होने के मामले में, भी गैप या ब्रेक तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा :

परन्तु ऐसे बालिका अभ्यर्थी के मामले में, जिसमें अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बीच में ही अपने अध्ययन को छोड़ दिया है और यदि वह बाद में अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहती है तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये, विशेष परिस्थितियों के अधीन अपने अध्ययन को जारी रखने की अनुमति दी जायेगी कि–

(क) सम्बन्धित बालिका अभ्यर्थी ने अपनी पूर्ववर्ती वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) अध्ययन में गैप/बैक 04 वर्ष से अधिक नहीं होगा,

(ग) पाठ्य विवरण के वृहद् पुनरीक्षण के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को पुनरीक्षित पाठ्य विवरण पूरा करने के लिये विशेष कक्षाओं में उपस्थित होना पड़ेगा जिसके पश्चात् ही वह आगामी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये पात्र होगी,

(घ) सम्बन्धित बालिका अभ्यर्थी संस्था में अध्ययन की अवधि के दौरान अनुशासनहीनता की दोषी न पाई गई हो।

(पांच) यदि कोई छात्र पुनः उपस्थित प्राप्त करता है तो उसे परीक्षा में प्राईवेट रूप से या नियमित छात्र के रूप में उपस्थित होने का विकल्प होगा किन्तु जब वह एक बार नियमित छात्र के रूप में ज्वाइन करता है तब उसे प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी,

(छः) ए0एम0ई0 पाठ्यक्रम करने वाले अभ्यर्थी को केवल पाठ्यक्रम की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर उत्तीर्ण करने के लिए नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थिति होने के लिए केवल एक और अवसर दिया जायेगा।

परन्तु द्वितीय अवसर में भी अनुत्तीर्ण घोषित किये गये अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को कोई और अवसर नहीं दिया जायेगा।

23–न्यूनतम प्रतिशत

(1) अन्तिम फार्मेसी परीक्षा और अंतिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण पत्र परीक्षा से भिन्न डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ घोषित किया जायेगा, यदि वह–

(क) प्रत्येक लिखित विषय में लिखित परीक्षा में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है;

(ख) प्रत्येक व्यवहारिक परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है:

(ग) प्रत्येक विषय लिखित/व्यवहारिक/परियोजना में कम से कम 50प्रतिशत सेशनल अंक प्राप्त करता है।

(घ) कुल योग में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(2) अन्तिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाणपत्र परीक्षा से भिन्न अंतिम डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र परीक्षा में ऐसा कोई सफल अभ्यर्थी जो कम से कम–

(क) योग में कुल अंकों का 66 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्त करता है, प्रथम श्रेणी (डिवीजन) में रखा जायेगा।

(ख) कुल अंको का 45 प्रतिशत किन्तु योग में कुल अंकों का 66 प्रतिशत से कम से कम प्राप्त करता है, द्वितीय श्रेणी में रखा जायेगा।

(ग) अन्तिम डिप्लोमां या प्रमाण–पत्र/विशेष बैक पेपर परीक्षा के सफल अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती वार्षिक परीक्षा में प्राप्त उसके कुल योग के आधार पर श्रेणी दी जायेगी।

(घ) कुल योग में 80 प्रतिशत या इससे अधिक पाने वाले अभ्यर्थी को "आनर्स" दिया जायेगा।

(3) प्रथम या द्वितीय वर्ष की वार्षिक या विशेष बैक पेपर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।

(4) अंतिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण पत्र में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा गें उत्तीर्ण हुआ घोषित किया जायेगा यदि वह–

(क) यदि वह समूह क प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

परन्तु विज्ञान विषय(भौतिक और रसायन शास्त्र) में अभ्यर्थी को लिखित (थ्योरी) और व्यवहारिक (प्रैक्टिकल) अलग–अलग न्यूनतम पास अंक प्राप्त करना होगा। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा विहित है।

(ख) समूह 'क' के योग में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(ग) समूह ख में प्रत्येक प्रैक्टिकल (जिसमें सैशनल भी सम्मलित है) कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(घ) समूह क और ख के समस्त लिखित (थ्योरी) व्यवहारिक (प्रैक्टिकल) में और सेशनलों के योग में जिसमें अनुशासन/एन0सी0सी0/खेलकूद के अंक भी सम्मलित हैं कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(5) अंतिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण पत्र परीक्षा में:–

(क) योग में कुल अंकों का 66 प्रतिशत पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम श्रेणी में रखा जायेगा।

(ख) कुल अंको का 45 प्रतिशत किन्तु योग में कुल अकों का 66 प्रतिशत से कम से कम अंक पाने वाले सफल अभ्यर्थी को द्वितीय श्रेणी में रखा जायेगा।

(ग) अंतिम माध्यमिक प्राविधिक प्रमाण पत्र विशेष बैक पेपर परीक्षा के सफल अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती वार्षिक परीक्षा में प्राप्त योग के आधार पर श्रेणी दी जायेगी।

(घ) लिखित थ्योरी विषय में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को लिखित थ्योरी विषय में डिस्टिंगशन दिया जायेगा।

(6) डिप्लोमा फार्मेसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ घोषित किया जायेगा यदि वह –

(एक) अंग्रेजी में कम से कम 33 प्रतिशत अंक और प्रत्येक शेष विषयों में अलग–अलग लिखित परीक्षाओं (जिसके अंतर्गत सेशनल अभिलेख भी हैं) और प्रत्येक विषय में प्रैक्टिकल परीक्षाओं (जिसके अन्तर्गत सेशनल अभिलेख भी है) में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(दो) किसी विषय या विषयों में 75 प्रतिशत अंक या इससे अधिक पाने वाले अभ्यर्थी को उस विषय या उन विषयों में डिस्टिंकशन प्राप्त किया घोषित किया जायेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि वह उस परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण हो।

(7) ए.एम.ई. पाठ्यक्रम डिप्लोमा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को –

(एक) प्रत्येक थ्योरी के विषयों और प्रैक्टिकल के विषयों में उपस्थित होना पडेगा और प्रत्येक विषय में अलग–अलग उत्तीर्ण होना पडेगा

(दो) थ्योरी के विषयों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक सैक्शन और ऐसे टाईप प्रश्नों का दूसरा सैक्शन होगा जो पृथक–पृथक 60प्रतिशत और 40प्रतिशत उत्तीर्ण अंक के होंगें।

(क)सैक्शन क में अर्थात क्विज टाईप प्रश्नों में न्यूनतम 70 प्रतिशत उत्तीर्णांक प्राप्त करना होगा

(ख) सैक्शन 'ख'/निबंधात्मक प्रश्नों में न्यूनतम 60प्रतिशत उत्तीर्णांक प्राप्त करना होगा।

(तीन) कोई परीक्षा उत्तीर्ण हुआ घोषित किया जायेगा, यदि वह प्रत्येक पेपर में पृथक–पृथक न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।

(चार) किसी छात्र के जिसे कम से कम एक विषय में पुनः उपस्थित होना हो बैक पेपर देना हो अनुवर्ती परीक्षा में उसे क्वालीफाई करने के लिए उस विषय में 80 प्रतिशत प्राप्त करना होगा।

24–कृपांक – (एक) आगे दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अभ्यर्थी को कृपांक दिये जा सकते है प्रतिबन्ध यह है कि उसे ऐसा अंक देने में वह परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य हो:

(दो) दो से अधिक विषयों में कृपांक नहीं दिये जायेंगे।

(तीन) कुल मिलाकर दस प्रतिशत से अधिक कृपांक नहीं दिये जायेगे।

अवधेय सीमा–प्रत्येक विषय में कृपांक उस विषय के जिसमें कृपांक दिये जायं, अधिकतम अंकों के दस प्रतिशत से अधिक अंक नहीं होंगे।

(चार) कोई कृपांक विशेष बैक पेपर परीक्षा में नहीं दिये जायेंगे :

(पांच) इस प्रकार दिये गये कृपांक का तात्पर्य संबंधित अंकों में कमी को क्षमा करना है और वास्तव में प्रांप्त अंकों या उसके योग के परिवर्तन करने के लिये नहीं । इस प्रकार ये डिवीजन/आनर्स की गणना करने के लिये नहीं जोड़े जायेंगे।

(छः) किसी अभ्यर्थी की योग्यताक्रम ऐसे कृपांक के देने से प्रभावित नहीं होगा।

(सात) कोई कृपांक सुसंगत लाइसेन्स की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए नागरिक उड्डयन निदेशालय की पूर्व अपेक्षा के रूप में ए.एम.ई. डिप्लोमा परीक्षा में नहीं दिये जायेंगें।

25–प्राइवेट अभ्यर्थी

(1) नियमित अवसर (अवसरों) का फायदा उठाने के पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को विनियम 22(दो) (क) (ख) और (ग) में और विनियम 16 में अतिरिक्त नियम में यथा–निर्धारित उपबन्ध के अधीन के सिवाय द्वितीय अवसर में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होना पड़ेगा।

(2) निम्नलिखित उपबन्ध के अधीन रहते हुऐ प्राइवेट अभ्यर्थी को समस्त थ्यौरी परीक्षा में पुनः उपस्थित होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त उत्तीर्ण अंक और पूर्ववर्ती परीक्षा में जिसमें वह उपस्थित हुआ और केवल थ्यौरी पेपर में असफल हो गया थ्यौरी परियोजना और प्रैक्टिकल में सेशनल कार्य के लिये प्राप्त अंक केवल कुल योग और डिवीजन निकालने के लिये अग्रेणीत किये जायेंगे:

परन्तु किसी अभ्यर्थी को जो पूर्ववर्ती परीक्षा में किन्हीं प्रेक्टिकल परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गया हो उसको समस्त थ्यौरी परीक्षाओं के साथ–साथ समस्त प्रैक्टिकल परीक्षा में भी पुनः उपस्थित होना पड़ेगा।

(3) किसी अभ्यर्थी को इसमें आगे दी गयी शर्तों पर प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी :–

(क) कि वह विहित प्रपत्र पर अंतिम उपस्थित संस्था के प्राचार्य के माध्यम से इस प्रयोजन के लिये विहित दिनांक के भीतर विहित फीस के साथ–साथ अपना **आवेदन** पत्र प्रस्तुत करता है;

(ख) कि उससे परीक्षा की उस योजना के अनुसार जो केवल उस समय नियमित अभ्यर्थियों के लिये प्रचलित हो, उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।

स्पष्टीकरण–परिषद् द्वारा डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देने के लिये यह समझा जायेगा कि वह नियमित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित हुआ हो।

26–परीक्षा परिणाम

(1) परीक्षा का परिणाम प्रेस/विभागीय बेबसाईट के माध्यम से घोषित किया जायेगा और उत्तराखण्ड गज़ट में प्रकाशित भी किया जायेगा। सम्बद्ध संस्था से सम्बन्धित परिणाम पत्र की एक प्रति संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को उसके अभिलेख के लिये और अभ्यर्थी को विस्तृत अंक पत्र जारी करने के लिए भेजी जायेगी।

(2) इस प्रकार भेजे गये परिणाम–पत्र की संवीक्षा परिणाम–पत्र की प्राप्ति से अधिक से अधिक 15 दिन के भीतर संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा की जायेगी और विनियम 23 के अनुसार यदि परिणाम की पोस्टिंग के संबंध में कोई कमी देखी जाये तो किसी अभ्यर्थी के संबंध में कुल योग सेशनल अंको की अग्रणीत पोस्टिंग डिविजन आनर्स या विशिष्टता के दिये जाने की सूचना उसके द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को अंक पत्र जारी करने के पूर्व स्पष्टीकरण के लिये सचिव को भेजी जायेगी।

(3) ऐसे किसी मामले मे जिसमें किसी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाये और ऐसा परिणाम किसी गलती द्वारा (उनकों छोड़कर जो अनाचार, कपट या अनुचित आचरण के अन्तर्गत आते हों) प्रभावित हो ऐसे मामलों को परीक्षा समिति के समक्ष रखा जायेगा। परीक्षा समिति के विनिश्चय के अनुसार परिषद् के सचिव को ऐसी रीति से जैसे सही स्थिति के अनुसार होगी ऐसे परिणाम में संशोधन करने की शक्ति होगी।

(4) फिर भी परिणामों की घोषणा के दिनांक छः माह के पश्चात् या वार्षिक सेमेस्टर योजना के अधीन अगली परीक्षा के प्रारम्भ होने के पश्चात् जो भी पहले हो किसी परिणाम का संशोधन नहीं किया जाएगा:

परन्तु परीक्षा का परिणाम परीक्षा के परिणामों की घोषणा के दिनांक से 90 दिन की समाप्ति के पश्चात् परिषद् के किसी वास्तविक गलती के आधार पर रद्द नहीं किया जायगा:

परन्तु यह और कि आन्तरिक निर्धारण अंक संस्था द्वारा एक बार संसूचित और परिषद् द्वारा स्वीकार किये गये सेशनल, खेलकूद, अनुशासन, में परिणामों की घोषणा के पश्चात् परिवर्तन नहीं किया जायेगा। ऐसे किसी मामले में जिसमे किसी परीक्षा का परीणाम घोषित कर दिया गया हो और यह पाया जाये कि ऐसा परिणाम किसी अनाचार, कपट द्वारा या किसी अन्य अनुचित आचरण द्वारा प्रभावित हुआ हो जिसके कारण अभ्यर्थी को लाभ हुआ हो और ऐसे मामलों में ऐसे अनाचार, कपट और अनुचित आचरण में पार्टी रहा हो या उसका संसर्गी रहा हो, परिषद् को परीक्षा समिति के समक्ष संवीक्षा के लिये रखा जायेगा। परीक्षा समिति को किसी भी समय, किसी डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा स्नातकोत्तर डिप्लोमा/कोई अन्य डिप्लोमा दिये जाने के बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम का संशोधन करने की शक्ति होगी और ऐसी घोषणा कर सकती है जैसी इस निमित्त आवश्यकता समझी जाये।

27–डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र

(1) परिषद् द्वारा विहित प्रपत्र पर जिस पर अध्यक्ष के और सचिव हस्ताक्षर (फेसीमाइल स्टाम्प) होंगे, डिप्लोमा का प्रमाण–पत्र संबंधित संस्थाओं के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थी को जारी किया जायेगा जिसे अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया हो, परन्तु कोई नया डिप्लोमा किसी अभ्यर्थी को जारी नहीं किया जायेगा जो विनियम 28 के अधीन परीक्षा उत्तीर्ण करता है किन्तु ऐसे मामले में पृष्ठांकन स्वयं मूल डिप्लोमा पर किया जायगा।

(2) डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र संबंधित संस्था के प्राचार्य को यथा संभव अगले 31 मार्च तकं संबंधित अभ्यर्थी को जारी किये जाने के लिये भेजा जायेगा।

(3) डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र की प्राप्ति होने तक अभ्यर्थी उस संस्था के जिससे वह

परिषद् द्वारा प्रपत्र पर उत्तीर्ण हुआ, प्राचार्य अस्थायी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकता है इस प्रकार जारी किया गया अस्थायी प्रमाण पत्र उस दिनांक से विधिमान्य नहीं होगा जब से वह उप–विनियम (1) के अधीन परिषद् द्वारा डिप्लोमा प्रमाण–पत्र प्राप्त करता है।

(4) उस वर्ष के, जिसमें उसने परीक्षा उत्तीर्ण की या परिषद् से डिप्लोमा प्राप्त किया 30 जून से पांच वर्ष के पश्चात् किसी अभ्यर्थी द्वारा दावा न किया गया डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्राचार्य द्वारा परिषद् को वापस कर दिया जायेगा:

परन्तु संबंधित संस्था का प्राचार्य संस्था के अभिलेख में उपलब्ध स्थायी पते पर अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के संसूचित करने का आवश्यक और वास्तविक प्रयास करेगा।

(5) प्राचार्य द्वारा परिषद् को वापस किया गया दावा न किया गया डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी द्वारा और विहित फीस के भुगतान पर और परिषद् द्वारा विहित रीति से प्राप्त किया जा सकेगा।

(6) डिप्लोमा प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों पर विहित फीस का भुगतान करने पर और परिषद् द्वारा विहित रीति से प्राप्त किया जा सकता है–

(क) खो जाने या नष्ट हो जाने वाले डिप्लोमा प्रमाण–पत्र के मामले में,

(ख) ऐसे डिप्लोमा प्रमाण–पत्र के मामलों में जो गन्दे हो गये हों या विरुपित या कटे, फटे हो गया हो और जब्त कर लिये जाने के कारण परिषद् को अभ्यर्पित कर दिया गया हो;

(ग) ऐसे डिप्लोमा प्रमाण–पत्र के मामले में जिसकी प्रविष्टियां धुंधली हो गयी हो किन्तु जो अन्यथा अक्षुण्ण हो और रद्द करने के लिये परिषद् को अभ्यर्पित कर दिया जाये।

उन अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा जो अभियंत्रण या प्रौद्योगिकी की एक शाखा में डिप्लोमा परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण हो चुके हों।

28– ऐसा अभ्यर्थी जिसने पाठ्यक्रम की किसी एक शाखा में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, तीन वर्ष की अवधि के सिविल या विद्युत या यांत्रिक या अन्य इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में:–

(एक) सिविल या विद्युत या यांत्रिक या अन्य अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के मामलों में वह किसी सम्बद्ध संस्था में द्वितीय वर्ष की कक्षा में जिसमें वह क्वालीफाई करना पाठ्यक्रम में सीटों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए चाहता है:

परन्तु निदेशक ऐसे सम्बद्ध संस्थाओं के नाम विनिर्दिष्ट करेगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिए सीटों की संख्या उस सम्बद्ध संस्था में पाठ्यक्रम की उस शाखा के इनटेक के ऊपर दस प्रतिशत तक उपलब्ध कराई जायेगी:

परन्तु यह और कि अभियंत्रण की उस शाखा में अभ्यर्थियों का प्रवेश ऐसे प्रयोजन के लिए संचालित प्रवेश परीक्षा की योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

(दो) कि वह आवश्यक उपस्थिति पूरी करता है और संतोषजनक ढंग से विहित पाठ्यक्रम पूरा करता है।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थियों को उन विषयों में छूट दी जायेगी जो उस शाखा के जिसमें वह पहले ही क्वालीफाई कर चुका हो और उस शाखा के जिसमें वह अब क्वालीफाई करना चाहता है। प्रथम द्वितीय और/या अंतिम वर्ष में कामन हो:

परन्तु अभ्यर्थी को द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के विषयों के अतिरिक्त जिसमें वह प्रवेश चाहता हो। प्रथम वर्ष के उन विषयों में क्वालीफाई करना होगा जो डिप्लोमा के उस शाखा में कामन नहीं थे जिसे उसने पहले ही क्वालीफाई कर लिया है।

(चार) पूर्ववर्ती परीक्षा के अंकों को ऐसे मामलों मे अग्रेनीत नहीं किया जायगा।

(पॉच) ऐसा अभ्यर्थी विनियम 23 के अधीन विहित न्यूनतम पूर्णांक अपने द्वारा प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उत्तीर्ण घोषित किया जायगा और न तो ऐसे मामलों में कुल योग निकाला जायेगा और न डिवीजन दिया जायगा। ऐसे अभ्यर्थी को केवल 'पी' (उत्तीर्ण) दिया जायगा।

(छः) कोई पृथक डिप्लोमा ऐसे अभ्यर्थी को नहीं दिया जायगा, किन्तु यह स्पष्ट करते हुए कि अभ्यर्थी उस विशेष पाठ्यक्रम में भी उत्तीर्ण हो

चुका है, उसकी पहले से दिये गये डिप्लोमा पर पृष्ठांकन किया जायगा।

(सात) कोई अभ्यर्थी जिसने अन्य परिषदों से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है इस परिषद् से "क्रैश प्रोग्राम" की योजना के अधीन डिप्लोमा उत्तीर्ण करता है, सिविल इंजीनियरिंग में जिसके लिये क्रैश प्रोग्राम स्थापित किया गया था; पृथक डिप्लोमा दिया जायेगा।

(आठ) ऐसा अभ्यर्थी जो तीन वर्ष के अवधि के सिविल/विद्युत/यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक अभियंत्रण या अन्य अभियंत्रण पाठ्यक्रम की किसी शाखा में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो, अभियंत्रण के किसी अन्य शाखा में डिवीजन के उपबन्ध के साथ नया डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र प्राप्त करना चाहता हो, केवल ऐसे केन्द्रों पर और ऐसे पाठ्यक्रमों में जैसा परिषद् द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय, पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नया प्रवेश लेना होगा और सभी वर्षों में इस बात के होते हुए भी कि उसने पाठ्य विवरण का कुछ विषय (विषयों) को पहले ही उत्तीर्ण कर लिया है उसी विषयों में अध्ययन करना होगा।

29–अनुचित साधनों का प्रयोग और अनुशासनिक कार्यवाही

(1) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाये तो निरीक्षक (इनविजिलेटर) केन्द्र के अधीक्षक को ऐसे मामले की रिपोर्ट करेगा। ऐसे परीक्षार्थी से विहित आरोपपत्र पर लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा और केन्द्र का अधीक्षक समस्त संबंधित पत्रादि को जिसके अन्तर्गत उत्तर पुस्तिका और सामग्री (सामग्रियों) भी है अपने कब्जे में रखेगा किन्तु उसको एक नयी उत्तर पुस्तिका देने के पश्चात् बाकी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये उसे अनुज्ञा देगा। केन्द्र का अधीक्षक तत्पश्चात् तुरन्त साक्ष्य के पूरे ब्योरे और परिषद् के अनुदेश के साथ सचिव को मामले की रिपोर्ट करेगा जो उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये परीक्षा समिति के समक्ष रखेगा।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी लिखित स्पष्टीकरण देने से इन्कार करता है तो उसके इन्कार किये जाने का तथ्य अधीक्षक द्वारा अभिलिखित किया जायेगा, जो घटना के समय ड्यूटी पर अंतिम दो इनविजिलेटरों द्वारा साक्षित होगा।

(3) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष/हाल के अन्दर या बाहर परीक्षा अवधि के दौरान किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करता हुआ पाया जाये तो अधीक्षक दोनों अभ्यर्थियों और इनविजिलेटर के कथन को अभिलिखित करेगा और उसे अपनी टीका टिप्पणी के साथ परिषद् के सचिव को भेजेगा।

(4) अपने कपड़े, शरीर, मेज या टेबल या यन्त्र जैसे लाइन रूल, सेट स्कवायर्स, प्रोटैक्टर्स या स्केलों आदि के किसी भाग पर लिखित नोटों से नकल करते हुए अभ्यर्थी को जो अपने पास पाये गये किसी नोट या कागज को निगल जाने या नष्ट करने का दोषी हो या किसी व्यक्ति से बातचीत करता हो या परीक्षा हाल के बाहर मूत्रालय/एम0सी0 को आते समय या जाते समय नोटों या पुस्तिकाओं से कन्सल्ट कर रहा हो, अनुचित साधनों का उपयोग करता हुआ समझा जायेगा और खण्ड (घ) में यथा प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

(5) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा हाल छोड़ने के पूर्व परिवेक्षीय स्टाफ को उत्तर पुस्तिका देने में असफल रहता है तो अधीक्षक पूर्ण साक्ष्य के साथ मामले की रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में करेगा और एक पृथक मोहरबंद आवरण में परिषद् के सचिव को एक रिपोर्ट भी भेजी जायेगी।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाये, जिसके अन्तर्गत ऐसा अभ्यर्थी भी है जो–

(क) परीक्षा के प्रारम्भ के पूर्व या उसके दौरान सौख्ते पर/मेज/ड्राइंग उपकरण/डेस्क स्लिप /एडमीशन कार्ड/कागज के किसी अन्य टुक्ड़े/प्रश्नपत्र पर पेपर में दिये गये प्रश्न के किसी हल को पूर्ण रूप से लिखता है; या

(ख) परीक्षा की अवधि के दौरान पेपर में दिये गये प्रश्न या प्रश्नों की एक प्रति या कोई हल/उसके पूर्ण या अपूर्ण उत्तर की एक प्रति किसी अन्य व्यक्ति को पास करने का दोषी पाया जाय; या

(ग) स्टाफ के किसी सदस्य या किसी बाहरी अभिकरण के मौनानुकूलता के माध्यम से पूर्ण या अपूर्ण हल के कब्जे में पाया जाये; या

(घ) किसी उत्तर पुस्तिका/कन्टीनुवेशन सीट को बाहर ले आकर या बाहर भेजने का प्रबन्ध कर या बाहर भेज कर स्मगलिंग करने का दोषी पाया जाय; या

(ड.) अपमानजनक या अश्लील भाषा प्रयोग करने या परीक्षक को लिखित रूप से या किसी साधन द्वारा प्रभावित करने का दोषी पाया जाय;

(च) किसी प्रकार का अप्राधिकृत परचा/नोट बुक या किसी अन्य सामाग्री को जो उसके जेब में हो या उसके पास हो या डेस्क सीट के अन्दर या बाहर हो, अधिकार में रखने का दोषी पाया जाये तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग समझा जायेगा और ऐसी स्थिति में परीक्षा केन्द्र का अधीक्षक उप–विनियम (1) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(छ) उप–विनियम (2) से (5) और ऊपर दिये गये खण्ड (क) से (च) के अन्तर्गत न आने वाले अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी पाया जाय।

(7) किसी परीक्षक को यह पता लगे कि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग किया है तो वह इस मामले की रिपोर्ट सचिव को तुरन्त करेगा जो उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये परीक्षा समिति के समक्ष रखेगा।

(8) जहां सचिव को किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट प्राप्त हो या ऊपर उप–विनियम (1) और (6) में निर्दिष्ट स्रोत से भिन्न किसी स्रोत से उसके द्वारा अनुचित साधन के प्रयोग के संबंध में अनुदेश प्राप्त हो तो सचिव उस संस्था के ऐसे अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के लिये विशेषज्ञों की संवीक्षा समिति नियुक्त कर सकता है और विशेषज्ञों की संवीक्षा समिति नियुक्त हो गई हो, की रिपोर्ट के साथ मामले को आवश्यक कार्यवाही के लिये परीक्षा समिति के समक्ष रखेगा।

(9) प्रतिरूपण से बचने के लिए, बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले नियमित और व्यक्तिगत सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेंगी कि उनके पास प्रवेश–पत्र हो और उनका अपना पहचान–पत्र हो जिस पर पास–पोर्ट आकार का चित्र चिपका हो और जिस संस्था से वह संबंधित है उसके प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो।

(10) प्रतिरूपण के सभी मामलों को, उस प्रमाण के साथ, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अधीक्षक द्वारा स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट किया जायेगा और मामले को बोर्ड के सचिव को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(11) किसी अभ्यर्थी को, जो परीक्षा केन्द्र/कक्ष के अधीक्षक/निरीक्षक की आज्ञा पालन करने से मना करता है और किसी अन्य अभ्यर्थी से अपना स्थान बदलता है और/या जानबूझकर किसी अन्य अभ्यर्थी का अनुक्रमांक अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखता है और/या परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है, और/या अन्यथा परीक्षा हाल में दुर्व्यवहार करता है, अधीक्षक द्वारा परीक्षा हाल से बाहर कर दिया जायेगा और पूर्ण अभिलिखित कारणों के साथ रिपोर्ट सहित उसकी उत्तर पुस्तिका को पृथकतः सचिव को भेजा जायेगा। यदि अभ्यर्थी परीक्षा संचालन में बाधा करना जारी रखे तो सचिव स्वयं पर प्रत्यायोजित मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा और तद्नुसार कार्यवाही करेगा।

(12) किसी अभ्यर्थी ने अनुशासनहीनता का कार्य किया है जिसके अन्तर्गत केन्द्र अधीक्षक और/या निरीक्षक या परीक्षा के संचालन से संबंधित किसी कर्मचारी पर ऐसी परीक्षा/ऐसी परीक्षा के परीक्षाफल की घोषणा के प्रारम्भ से पूर्व और समाप्ति से ठीक दो मास की अवधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का शारीरिक आक्रमण भी है, को अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) और (2) के अधीन अपराध समझाा जायेगा। उचित और पूर्ण प्रमाण के साथ मामले को सचिव को रिपोर्ट किया जायेगा और तत्पश्चात् मामले (लों) को परीक्षा समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(13) उपर्युक्त सभी मामलों में और उन मामलों में जहां किसी परीक्षार्थी ने किसी तथ्य को छिपाया है या अपने आवेदन–पत्र में मिथ्या विवरण देता है या परीक्षा में अनुचित प्रवेश पाने के लिये नियमों का उल्लघन किया है या परीक्षा में धोखा (जिसके अन्तर्गत प्रतिरूपण भी है) किया

है या नैतिक अपराध, अनुशासहीनता का दोषी है, वहां परीक्षा समिति उस मामले में दिए जाने वाले दण्ड को निर्धारित करेंगी और परीक्षा समिति का विनिश्चय अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) (1–क) के खण्ड (एक) के उपखण्ड(ड.) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

समिति शास्ति दे सकती है, जो निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकती है:–

(1) उत्तीर्ण परीक्षा के डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र को वापस लेना;

(2) परीक्षा का निरस्तीकरण;

(3) भावी परीक्षा से निष्कासन;

(4) उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र को वापस लेना या पश्चात्वर्ती परीक्षा का निरस्तीकरण या उससे निष्कासन जिसके अन्तर्गत बोर्ड की उच्चतर परीक्षा भी है;

(5) विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा के प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों में से 40 प्रतिशत तक कटौती करना।

(14) परीक्षा समिति/परीक्षाफल समिति जांच होने तक ऐसे मामलों में, जहां अनुचित साधन का प्रयोग किया गया है या प्रयास किया गया है या प्रयोग किए जाने या प्रयास किए जाने का संदेह है, ऐसे अभ्यर्थी के परीक्षाफल का रोक सकती है।

(15) यदि परीक्षा/परीक्षाफल समिति की राय में अभ्यर्थी को अनुचित साधन का प्रयोग किया हुआ पाया जाये या अनुचित साधन प्रयोग करने का संदेह हो, चाहे केन्द्र अधीक्षक/परीक्षा द्वारा रिपोर्ट की गई हो या नहीं या किसी तथ्य को छिपाया है या किसी परीक्षा में अनुचित प्रवेश पाने के लिये अपने आवेदन–प्रपत्रों या नियमों में मिथ्या विवरण दिया है या परीक्षा में धोखा (जिसके अन्तर्गत प्रतिरूपण भी है)। किया है/था या नैतिम अपराध या अनुशासनहीनता का दोषी है/था परीक्षा/परीक्षाफल समिति जाँच होने तक उसका परीक्षाफल रोक सकती है और ऊपर उल्लिखित दण्डों में से एक या अधिक दण्ड दे सकती है।

(16) दण्ड की अवधि के दौरान ऐसे अभ्यर्थी किसी भी संस्था/परीक्षा में निम्न/उच्च सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

(17) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा समिति के विनिश्चत के विरुद्ध विधि न्यायालय में अपील करना चाहता है तो वह परीक्षा समिति के विनिश्चय के दिनांक से 90 दिन के भीतर हरिद्वार की अधिकारिता के अधीन रहते हुए ऐसा कर सकता/सकती है।

30– संवीक्षा/पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया

(1) कोई अभ्यर्थी जो बोर्ड द्वारा संचालित किसी परीक्षा में प्रविष्टि हुआ है, किसी लिखित विषय के अपने अंकों की संवीक्षा/पुनर्मूल्यांकन के लिये सचिव को सीधे आवेदन कर सकता है।

(2) ऐसा कोई आवेदन सम्बन्धित संस्था से प्राप्य विहित प्रपत्र पर किया जाना चाहिये और अनुसूची (तीन) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

(3) ऐसे सभी आवेदनों के साथ ऐसी विषयवार फीस जो बोर्ड द्वारा विहित की जाय, होनी चाहिये। ऐसी फीस का भुगतान सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की, (हरिद्वार) को देय बैंक ड्राफ्ट को माध्यम से किया जायेगा, या चालान से कोषागार में जमा की जायेगी। पश्चात्वर्ती स्थिति में कोषागार चालान की एक प्रति बोर्ड के सचिव को भेजी जायेगी। भारतीय पोस्टल आर्डर, धनादेश या नकद भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेगे।

(4) कोई भी अभ्यर्थी संवीक्षा फीस को वापस पाने का हकदार नहीं होगा, जब तक संवीक्षा के परिणामस्वरूप उसके परीक्षाफल को प्रभावित करने वाली त्रुटि का पता न चले।

(5) संवीक्षा/पुनर्मूल्यांकन समाप्ति के पश्चात् ऐसे सभी मामलों का परिणाम अभ्यर्थी को सूचित किया जायेगा, ऐसे मामलों में किसी अन्य पत्र व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(6) परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन की सुविधा अनुमन्य है जबकि संवीक्षा के अन्तर्गत यह सम्मिलित है कि क्या किसी एक प्रश्न पर दिये गये अंकों को उद्वाह करने में या उनका योग करने में या कुल प्राप्तांकों को भरने में कोई त्रुटि हुई है। या क्या

किसी प्रश्न या उसके भाग पर अंक देने में कोई भूल हुई है?

(7) संवीक्षा/पुनर्मूल्यांकन के कार्य में ऐसे विषय सम्मिलित नही हैं जिनकी मौखिक या प्रयोगात्मक या दोनों प्रकार से परीक्षा या मौखिक परीक्षा में, या जाब वर्क या परियोजना आदि में होती है।

(8) संवीक्षा/पुनर्मूल्यांकन केवल वरिष्ठ परीक्षकों या विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य स्तर के परीक्षकों से ही कराया जायेगा।

(9) संवीक्षा/पुनर्मूल्यांकन पर यदि परीक्षार्थी के अंक पुराने अंक ही रहेंगे। लेकिन बढ़ने पर जितने अंक परीक्षार्थी के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त होते हैं, वही अंक दिये जायेंगे।

31–अंक–पत्र– (1) प्रत्येक विषय, लिखित या प्रयोगात्मक में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करने वाला अंकपत्र सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा (अनुसूची एक विहित फीस के भुगतान पर अभ्यर्थी को दिया जायेगा। इस फीस को प्रत्येक अभ्यर्थी से परीक्षा फीस के साथ लिया जायेगा।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी को अपने अंक–पत्र के योग उद्वाह, सत्रांक को भरने, श्रेणी सम्मान या विशेष योग्यता में कि किसी विसंगति का पता लगे तो वह परीक्षाफल के घोषित होने दिनांक से एक मास से अनधिक की अवधि के भी अपनी संस्था के प्रधानाचार्य के माध्यम से परिषद् को उसके लिये आवेदन करेगा और वह आवेदन की एक प्रति को उसी अवधि के भीतर रजिस्टर्ड डाक बोर्ड के कार्यालय को भी भेजेगा।

(3) अंक–पत्र संस्था में परीक्षाफल की प्राप्ति से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अभ्यर्थी को दिया जायेगा, परन्तु यह कि किसी अभ्यर्थी के परीक्षाफल में संस्था के प्रधानाचार्य को विसंगति का पता लगे तो उसे अंकपत्र नहीं दिया जायेगा। स्पष्टीकरण के लिये मामला बोर्ड को निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसे स्पष्टीकरण के प्राप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवश्यक अंक–पत्र दिया जायेगा।

(4) अंक–पत्र की द्वितीय प्रति, यदि अपेक्षिक हो, अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट विहित फीस के , जो कोषागार चालान या बैंक ड्राफ्ट द्वारा बोर्ड में जमा की जायेगी, भुगतान करने पर संस्था के प्रधान द्वारा अभ्यर्थी को दी जायेगी।

32–फीस की वापसी

(1) निम्नलिखित मामलों के सिवाये एक बार भुगतान की गई फीस को वापस नहीं किया जायेगा:–

(क) परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु के मामले में।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसे आगामी परीक्षा के लिये विहित फीस का भुगतान करने के पश्चात् संवीक्षा/पुनर्मूल्यांकनया उसके रुक हुये परीक्षाफल के रिलीज के परिणामस्वरूप उत्तीर्ण घोषित किया जाये।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसमें विनियम 33 के अधीन उसकी फीस को स्थगित करने की सूचना समय से प्राप्त न होने के कारण पुनः फीस जमा की हो।

(घ) उस अभ्यर्थी के मामले में जिसका आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाये।

स्पष्टीकरण– इस नियम में, "फीस" का तात्पर्य केवल परीक्षा फीस से है और उसके अन्तर्गत प्राप्तांकों का विवरण प्राप्त करने के लिये जमा की जाने वाली फीस नहीं है।

(2)फीस की वापसी के लिये आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र पर प्राप्त किया जायेगा जिसे अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर संस्था के प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।

33–फीस को स्थगित करना

(1) अनुसूची तीन में विहित समय के भीतर और ऐसे प्रपत्र पर जैसा बोर्ड विहित करे इन निमित्त दिये गये आवेदन–पत्र पर बोर्ड किसी अभ्यर्थी को जो किसी परीक्षा में नही बैठा था, निम्नलिखित शर्तों पर उसकी फीस स्थगित करके ठीक आगामी परीक्षा में प्रवेश दे सकता है:–

(क) कि विनियम 5 के अधीन सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा अभ्यर्थी को रोका गया था;

(ख) कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय अत्यधिक रुग्ण था, यह तथ्य रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाण–पत्र से सम्यक् के रूप से समर्थित हो।

(2) एक बार स्थगित की गयी फीस को एक बार पुनः स्थागित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– (क) परीक्षा (लिखित या प्रयोगात्मक) के किसी भाग में बैठना इस नियम के अधीन पूर्ण परीक्षा में बैठना समझा जायेगा।

(ख) फीस का तात्पर्य केवल "परीक्षा फीस" से है।

34– अभ्यर्थी से परीक्षा और अन्य फीस अनुसूचित 1 में दी गयी दरों के अनुसार ली जानी चाहिये।

35–एक साथ अन्य परीक्षा में बैठना

(1) किसी भी अभ्यर्थी को, जो बोर्ड की किसी परीक्षा में बैठ रहा है, प्रतियोगी परीक्षा या व्यवसायिक निकायों के द्वारा संचालित परीक्षा के सिवाय जैसे कि ऐसोसिएट मेम्बर आफ दि इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स (अभियन्ता संस्था का सहयुक्त सदस्य) आदि के, जिसके लिये किसी संस्था में अध्ययन का कोई नियमित पाठ्यक्रम विहित नहीं है, एक साथ किसी अन्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी।

(2) उपविनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय परीक्षा में किसी अभ्यर्थी को बैठने के लिये समायोजित करने या सुविधा देने के लिये बोर्ड की परीक्षा के दिनांक में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

36–अग्रसारण अधिकारी और आवेदन–पत्र

(1) नियमित अभ्यर्थी के लिये बोर्ड की परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन–पत्र संस्था के प्रधानाचार्य से प्राप्त होंगे, जो उसके लिये अग्रसारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में बैठने का अभिप्राय वाला अभ्यर्थी उस संस्था के जिसमें वह अन्तिम बार उपस्थित रहा, प्रधानाचार्य से आवेदन–पत्र प्राप्त करेगा, जो उसका अग्रसारण अधिकारी होगा। सम्यक् रूप से भरे हुये और प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण विहित फीस के साथ आवेदन–पत्र की अनुसूची दो में उल्लिखित दिनांक तक अग्रसारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। किसी दृष्टि से अपूर्ण आवेदन–पत्र बोर्ड अस्वीकार किये जाने योग्य होगा।

(2) अग्रसारण अधिकारी अनुसूची दो में विहित विशिष्ट अंतिम दिनांक तक प्रत्येक दृष्टि से सम्यक् रूप से पूर्ण आवेदन–पत्र को प्राप्त करने के पश्चात् अभ्यर्थी की पात्रता और तथ्यों के भी सम्बन्ध में भली प्रकार जांच करायेगा कि किसी स्तम्भ को खाली नहीं छोड़ा गया है या कांट–छांट पर, यदि कोई हो, सम्यक् हस्ताक्षर है या कोई भी अपेक्षित संलग्नक गुम नहीं है और निम्न प्रकार कार्यवाही करेगा :

(क) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये पृथक–पृथक पाठ्यक्रम के अनुसार छांटेगा।

(ख) हिन्दी शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला क्रम में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये प्रपत्र रखेगा, व्यक्तिगत अभ्यर्थी के प्रपत्र प्रत्येक पाठ्यक्रम में नियमतः नियमित अभ्यर्थियों के प्रपत्र के बाद रखे जायेंगे।

(ग) वर्णमाला क्रम में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये पृथक–पृथक तीन प्रतियों में (दो प्रतियां बोर्ड को भेजी जायेगी और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में रखी जायेगी) नामावली तैयार की जाये।

(घ) अनुसूची दो में विहित अंतिम दिनांक से विलम्बतम् 20 दिन के भीतर सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् को समस्त प्रपत्र और नामावली अग्रसारित करना।

(ड.) आवेदन–पत्रों की संख्या पर ध्यान न देते हुये प्रत्येक पाठ्यक्रम के अनुसार रू0 100 प्रतिदिन का अतिरिक्त विलम्ब फीस संस्था द्वारा देय होगा। यदि कोई संस्था देय दिनांक तक बोर्ड में आवेदन–पत्र और फीस प्रस्तुत करने में विफल रहती है, अधिकतम् दो सप्ताह इस प्रकार विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये अनुमन्य होंगे और इस दिनांक के अवसान के पश्चात् किसी भी आवेदन–पत्र को बोर्ड की परीक्षा समिति के अनुमोदन के सिवाय स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(च) परिषद् द्वारा आवेदन–पत्र और फीस की स्वीकृति हो जाने पर भी परीक्षा में आवेदक का कार्य/परीक्षाफल निरस्त कर दिया जायेगा, यदि बाद में यह पता लगे कि आवेदक उक्त वर्ष में प्रवेश के लिये और उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं था और अग्रेतर सम्बन्धित प्रधानाचार्य

और कर्मचारी वर्ग आवेदक के गलत प्रमाणीकरण के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा।

स्पष्टीकरण–(एक) जहां किसी प्रयोजन के लिये अंतिम दिनांक विहित कर दिया गया है और उस प्रयोजन के लिये फीस भी विहित कर दी गयी है, वहां फीस की यथास्थिति कोषागार में या बैंक ड्राफ्ट से उस प्रयोजन के लिये इस प्रकार अवधारित दिनांक तक जमा किया जाना चाहिये।

(दो) जब किसी मास में कोई दिन कोषागारों से सार्वजनिक सव्यवहार के लिये पूर्ण कार्य दिवस न हो तो अग्रसारण अधिकारियों को उस दिन एकत्रित फीस को ठीक आगामी कार्य दिवस को सरकारी कोषागार में जमा करने की अनुज्ञा दी जाती है।

(तीन) यदि ऊपर उल्लिखित अंतिम दिनांक रविवार या राजपत्रित अवकाश के दिन पड़ता है तो ठीक आगामी दिनांक उस विशिष्ट दिनांक के सम्बन्ध में अन्तिम दिनांक समझा जायेगा। संस्थाये जो बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन–पत्रों के प्रस्तुतीकरण की समय अनुसूची का अनुपालन नहीं करती है –

(क) सरकारी संस्थाओं की स्थिति में परीक्षा समिति द्वारा उचित समझे गये किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त प्रत्येक विलम्ब दिवस के लिये व्यतिक्रमी व्यक्तियों पर 100 रुपया प्रतिदिन का अर्थ दण्ड लगाया जायेगा।

(ख) सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं की स्थिति में ऐसी संस्थाओं को, प्रत्येक विलम्ब दिवस के लिये 100 रुपया का प्रतिदिन का अर्थ दण्ड का भुगतान करना पड़ेगा तथा अनुदान के निरोध और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझे गये किसी अन्य कार्यवाही का सामना करने के लिये उत्तरदायी होगी।

(ग) उन संस्थाओं के सम्बन्ध में, जो ऊपर उल्लिखित श्रेणियों में नहीं आती है–

प्रत्येक विलम्ब दिवस के लिये 100 रुपया प्रतिदिन अर्थ दण्ड का भुगतान करना पड़ेगा तथा अन्य उचित कार्यवाही जिसमें उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् से संस्था को असम्बद्ध करना भी है, की उत्तरदायी होगी।

37–परीक्षाओं से सम्बन्धित अन्य नियम

(1) परिषद् की लिखित परीक्षा सभी केन्द्रों पर एक साथ और साधारणतः शैक्षिक वर्ष के अप्रैल मास में की जायेगी।

(2) प्रयोगात्मक परीक्षा के दिनांकों को प्रयोगात्मक परीक्षक से परामर्श करके संस्थाओं के सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा और साधारणतः लिखित परीक्षा से या तो पहले या ठीक पश्चात् की जायेगी। प्रयोगात्मक परीक्षा साधारणतः प्रत्येक संस्था में की जायेगी परन्तु यह कि विशेष बैक पेपर की स्थिति में, परीक्षा एक या अधिक केन्द्रों पर की जा सकती है।

38–(1) संस्था के प्रधानाचार्य से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रत्येक वर्ष विलम्बतम् 31अगस्त तक अभ्यर्थियों की संख्या जिसके प्रत्येक कक्षा और पाठ्यक्रम में ठीक आगामी परिषद् की परीक्षा में बैठने की सम्भावना है, सचिव को सूचित करे।

(2) प्रयोगात्मक/लिखित परीक्षा में, जो भी पहले हो, उसके प्रारम्भ से कम से कम एक मास पूर्व संस्था का प्रधानाचार्य एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि अभ्यर्थियों को पूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ा दिया गया है और प्रैक्टिकल और एक्सपेरीमेंट वास्तव में पूर्ण किये गये है और संस्था में छात्रों द्वारा जनरल्स परियोजना/रूपांकन कार्य आदि संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया है।

39–(1) परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी को परीक्षा हाल में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। फिर भी केन्द्र का अधीक्षक अपने विवेक से किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टे भीतर स्वयं को रिपोर्ट करता है।

(2) अधीक्षक/निरीक्षक/उड़नदस्ता/प्रेक्षक परीक्षा हाल के अन्दर या बाहर परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहले या दौरान परीक्षार्थी से उसकी तलाशी लेने के लिये कहा जा सकता है।

(3) अधीक्षक/निरीक्षक के मांगने पर परीक्षार्थी से अपने प्रवेश–पत्र दिखाने को कहा जा

सकता है और परीक्षा हाल/केन्द्र उसके प्रवेश को मना कर सकता है यदि बिना विधिमान्य कारणों के उसके पास अपना प्रवेश–पत्र नहीं है और उसे प्रतिरूपण कार्य का संदेह हो या पता लगे।

(4) किसी भी अभ्यर्थी को साधारणतः प्रश्न–पत्र को अवधि के अवसान के पूर्व अंतिम रूप से परीक्षा हाल छोड़ने की अनुमति नही दी जायेगी :

परन्तु केन्द्र अधीक्षक किसी अभ्यर्थी को अनुमति दे सकता है, जिसने अपने प्रश्न–पत्र पूर्ण कर लिया है या अन्य संतोषजनक आधारों पर अंतिम आधा घंटे के भीतर परीक्षा हाल छोड़ने की अनुमति दे सकता है।

40–परीक्षार्थियों का अभिलेख सुरक्षित रखना

(1) अभ्यर्थियों की उत्तर–पुस्तिकायें परीक्षाफल घोषित होने के दिनांक से छः मास की अवधि तक सुरक्षित रखी जायेगी। उन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकायें, जिन्होंनें परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग किया है, दो वर्ष की अवधि तक रखी जायगी।

(2) प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किया गया कार्य सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा रखा जायेगा और विशेष परीक्षा की स्थिति में केन्द्र अधीक्षक परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर तक अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा जायेगा। व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के मामले में प्रधानाचार्य के लिये यह बाध्यकारी होगा कि वह उनके कार्य/परियोजना /सत्र कार्य आदि को उस अवधि तक रखे जब तक अभ्यर्थी उत्तीर्ण न हो जाये।

(3) अधिनिर्णय सूचित/सत्रांक सूचियाँ परीक्षाफल के घोषित होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नष्ट कर दी जायेगी।

41–प्रवेश–पत्र और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया

(1) सचिव के हस्ताक्षर (अनुकृति स्टाम्प) से प्रत्येक अभ्यर्थी को, जिसे रोका न जाये और जो परिषद् की परीक्षा में प्रवेश की शर्तें पूर्ण करता है और जिसे परीक्षा में बैठने के लिये अनुमति दी जाती है, एक प्रवेश–पत्र दिया जायेगा; परन्तु

(एक) मुख्य परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(दो) प्रयोगात्मक परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र पर प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान के लिये प्रधानाचार्य द्वारा दिया जायेगा :

परन्तु यह और कि विशेष बैक परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र केन्द्र अधीक्षक द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी से उसकी अपनी संस्था के प्रधानाचार्य से पहचान–पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा।

(2) सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश–पत्र परीक्षा के प्रारम्भ से कम से कम 24 घण्टे पूर्व कार्य दिवस में प्राप्त किया जायेगा।

(3) जब भी मांगा जाय, प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र केन्द्र अधीक्षक या निरीक्षक या उड़नदस्ता या प्रेक्षक को दिखायेगा।

(4) केन्द्र अधीक्षक, यदि उसका समाधान हो जाये कि किसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश–पत्र गुम हो गया या नष्ट हो गया है उस अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट विहित फीस के भुगतान पर देगा जिसे, यथास्थिति, बैक ड्राफ्ट या कोषागार चालान के माध्यम से केन्द्र अधीक्षक बोर्ड के सचिव के पास जमा करेगा।

42–निष्कासन या निर्वासन

(1) इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुये भी किसी अभ्यर्थी को, जिसे प्रशासनिक विभाग के प्रधान द्वारा किसी शिक्षा वर्ष के दौरान किसी समय निष्कासित किया गया हो, उस शिक्षा वर्ष में हुई परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(2) किसी अभ्यर्थी को, जिसे बोर्ड की किसी परीक्षा के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सम्बद्ध संस्था से निर्वासित कर दिया गया है और उसके पश्चात् उसको किसी सम्बद्ध संस्था में प्रवेश नही दिया गया है, परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी–यदि उपर्युक्त शास्ति, परीक्षा के पाठ्यक्रम के दौरान या परीक्षा के पश्चात् लेकिन उस सत्र की समाप्ति के पूर्व, जिसमें परीक्षा

संचालित की जाती है, अधिरोपित की जाती है तो, उसकी परीक्षा रदद् कर दी जायेगी।

43–प्रश्न–पत्र का स्वत्वाधिकार – परिषद् अपने प्रश्न–पत्रों का स्वत्वाधिकार सुरक्षित रखता है। यदि फिर भी कोई प्रकाशक/लेखक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने तो परिषद् किसी प्रकाशन में परिषद् की परीक्षा के प्रश्नों या प्रश्नों या प्रश्न–पत्रों को प्रस्तुतीकरण के लिये अनुमति दे सकता है :

(एक) प्रकाशक/लेखक प्रकाशन में प्रश्नों के साथ कोई हल/उत्तर सम्मिलित नहीं करेगा।

(दो) यह प्रकाशक/लेखक का उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रश्नपत्रों की शुद्धता प्रस्तुत करे।

(तीन) प्रकाशक/लेखक पर यह बन्धकारी होगा कि वह न केवल इस तथ्य का उल्लेख करें कि प्रश्न/प्रश्न–पत्र परिषद् की अनुमति से प्रकाशित किए जा रहे है अपितु वह उक्त अनुमति–पत्र की संख्या और दिनांक को विशेष रूप से उद्धृत करेगा।

(चार) परिषद् द्वारा दी गई अनुमति का आवेदन पूर्णतः उस कलेण्डर वर्ष तक सीमित होगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है और स्वतः समाप्त हो जायेगा जब तक इन नियमों के अधीन नवीनीकरण न कराया जाये और स्वीकृति न दे दी जाये।

(पांच) अनुमति चाहने वालों के लिए फीस रू0 एक सौ प्रति प्रश्न–पत्र है।

44–प्रवेश परीक्षण – (1) प्रवेश परीक्षण के लिए आवेदन, यथास्थिति, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्/निदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा आमंत्रित किए जायेंगे। आवेदन–पत्र प्राप्त करने का अंतिम दिनांक अवधारित किया जायेगा और समाचार–पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित किया जायेगा।

(2) प्रथम वर्ष कक्षा में प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा में पूर्णतःप्राप्त योग्यता के आधार (पूर्ण अंकों के प्रतिशत) पर किया जायेगा।

(3) समय–समय पर दिए गए सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे। यदि अपेक्षित संस्था में अभ्यर्थी सरकार द्वारा सुरक्षित श्रेणियों में उनके कोटा के विरुद्ध उपलब्ध न हो तो इस प्रकार रिक्त आरक्षित सीटों को अनारक्षित समझा जायेगा और उन्हें निदेशक/राज्य सरकार की लिखित अनुमति के पश्चात् प्रतीक्षा सूची मे से योग्यता के आधार पर भरा जायेगा।

(4) उप विनियम (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रवेश सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा किया जायेगा लेकिन किसी अभ्यर्थी को, जो अपेक्षित प्रमाण प्रवेश परीक्षा परिषद् या निदेशक, द्वारा घोषित प्रवेश के अंतिम दिनांक से विलम्बतम् 15 दिन तक या उस कलेण्डर वर्ष के 31 अगस्त से पूर्व जो भी बाद में हो, जमा नहीं करता है या नहीं किया है, बोर्ड की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी चाहे उसने संस्था में प्रवेश पा लिया हो।

(5) द्वितीय या तृतीय/अंतिम वर्ष की कक्षाओं के किसी पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश की अनुमति निम्नलिखित मामले के सिवाय नहीं दी जायेगी :–

कोई अभ्यर्थी जिसने किसी सम्बद्ध संस्था में अध्ययन किया है और बोर्ड संचालित, यथास्थिति, प्रथम वर्ष या द्वितीय/तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा सम्यकतः उत्तीर्ण की है बशर्ते वह विनियम 22 के अधीन प्रवेश के लिये पात्र हो और विनियम 17 के अधीन निष्क्रमण के लिये अनुमति दी जाये। इसके अतिरिक्त लेटरल एन्ट्री के अन्तर्गत परिषद्, ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा विहित नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर निर्धारित पाठ्यक्रमों में तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रवेश किये जा सकते हैं लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को परिषद् द्वारा निर्धारित प्रथम वर्ष के अतिरिक्त विषयों को क्वालिफाई करना होगा।

45– इस विनियमावली में निहित किसी बात के होते हुए भी परीक्षा समिति राज्य सरकार या भारत सरकार के नाम निर्दिष्टयों के मामले में सहायता कार्यक्रम के अधीन प्रवेश की न्यूनतम योग्यता और अपेक्षित आयु में छूट के मामलों पर विचार कर सकती है।

अनुसूची–1
(विनियम 34 देखिये)

राजकीय/महिला/ग्रामीण/सहायता प्राप्त पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 245/XLI-1/2016-61/09 देहरादून:दिनांक 15 फरवरी, 2016 द्वारा निर्धारित शुल्क ढाँचा:–

क्रं0 सं0	शुल्क की मदें		शुल्क दरें ₹ में
1	**शिक्षण शुल्क**		**8000.00**
2	**छात्र निधि शुल्क**		**5000.00**
	1	प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन	50.00
	2	परिचय पत्र शुल्क	50.00
	3	क्रीड़ा शुल्क	250.00
	4	वार्षिकोत्सव शुल्क	100.00
	5	शैक्षिक परीक्षा शुल्क	100.00
	6	मैग्जीन शुल्क	100.00
	7	हॉबी सेन्टर शुल्क	50.00
	8	विद्युत शुल्क	1000.00
	9	कॉसन मनी संस्थागत् (refundable)	100.00
	10	शैक्षिक/औद्योगिक भ्रमण	300.00
	11	अनुरक्षण शुल्क	1500.00
	12	कम्प्यूटर/इन्टरनेट शुल्क	500.00
	13	विकास/भवन विकास शुल्क	500.00
	14	पुस्तकालय शुल्क	100.00
	15	चिकित्सा शुल्क	0.00
	16	छात्र वेलफेयर शुल्क	100.00
	17	एन0सी0सी0 शुल्क	100.00
	18	पुस्तकालय काशन मनी	100.00
3	**छात्रावास शुल्क**		**4000.00**
	19	छात्रावास शुल्क	600.00
	20	छात्रावास काशन मनी	200.00
	21	छात्रावास अनुरक्षण शुल्क	2000.00
	22	छात्रावास विद्युत शुल्क	1100.00
	23	बर्तन चन्दा	100.00
4	**बोर्ड परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा शुल्क** (सभी छात्रों हेतु एक समान)		राजकीय–500.00 निजी क्षेत्र–500.00
	परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क		200.00
	बैक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)		200/- प्रति विषय
	स्क्रूटनी शुल्क		250/- प्रति विषय
	अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर) (परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)		20.00 30.00
	पुर्नमूल्यांकन		2000/- प्रति विषय

नोट: प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा मात्र एक ही संस्थान में शुल्क जमा किया जायेगा। छात्र–छात्रा का जीप–द्वितीय/तृतीय काउंसिलिंग के माध्यम से पालीटेकनिक एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन होने की दशा में नयी संस्था में प्रवेश पुरानी संस्था द्वारा प्रदत्त रिलीविंग सर्टिफिकेट (जिसमें छात्र द्वारा जमा किये गये समस्त शुल्क का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा) प्रस्तुत करने पर होगा एवं छात्र से नयी स्थानान्तरित संस्था में कोई शुल्क (शिक्षण/छात्रनिधि) नहीं लिया जायेगा।

निजी क्षेत्र के पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1383/XXIV (8)/2009-03/04 दिनाँक 27 अक्टूबर, 2009 एवं 600/XXIV(8)/2010-51/2005 दिनाँक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार शुल्क ढाँचा:–

क्रं0 सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
1	शाकुम्भरी इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एवं टेक्नोलाजी, रूड़की	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
2	विशम्बर सहाय डिप्लोमा इंजी0 कालेज, देहरादून	इंजीनियरिंग शाखा	₹ 35000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
3	माडर्न इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, ऋषिकेष	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
4	ज्ञानी इन्दर सिंह इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन साइन्स एवं टेक्नोलाजी, देहरादून	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष

क्रं0 सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
5	रूड़की कालेज आफ फार्मेसी किशनपुर, रूड़की	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष
6	श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एवं टेक्नोलाजी, देहरादून	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
7	बी0एस0 नेगी, महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	फैशन डिजायन, गारमेन्ट टैक्नोलाजी	₹ 22300 प्रतिवर्ष
8	सिद्धार्थ इन्स्टीट्यूट आफ फार्मेसी सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष
9	रामानन्द इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी, ज्वालापुर हरिद्वार	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष

डिप्लोमा स्तरीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों से संबंधित ऐसे संस्थान जिनके द्वारा अभी तक शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया है, उनके द्वारा भी अनन्तिम रूप से ₹ 35000/– का वार्षिक शुल्क तथा डी0फार्मा हेतु ₹ 45000/– प्रतिवर्ष ही छात्रों से लिया जायेगा। निजी क्षेत्र के होटल मैनेजमेन्ट संस्थानों में उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 773/XXIV(8)/2006-51/2005 TC दिनाँक 23 अगस्त 2006 के अनुसार होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम के लिये ₹ 43000/– निर्धारित किया गया है।

अनुसूची–दो

(विनियम 36 देखिए)

क्रं0सं0	मद		अंतिम दिनांक		
			बिना विलम्ब शुल्क	साधाराण विलम्ब शुल्क रू0 100 की दर से	बढ़े हुए विलम्ब शुल्क रू0 500 की दर से
1	2		3	4	5
अग्रसारण अधिकारी के कार्यालय में परिषद् की परीक्षा में प्रवेश आवेदन–पत्र को प्राप्ति के लिए अंतिम दिनांक तथा विहित फीस–					
1	वार्षिक परीक्षाओं हेतु		10 सितम्बर	25 सितम्बर	15 नवम्बर
2	सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु	शीतकालीन	10 सितम्बर	25 सितम्बर	15 नवम्बर
		ग्रीष्मकालीन	10 मार्च	25 मार्च	5 अप्रैल

अनुसूची–तीन

(विनियम 32 देखिए)

क्रं0सं0	विवरण	अंतिम तिथि
1	2	3
1	विनियम 32 के अधीन फीस रोकने के लिए आवेदन पत्र	अपनी–अपनी लिखित परीक्षा के प्रारम्भ होने से तीस दिन।
2	फीस वापसी के लिए आवेदन पत्र	कोषागार में फीस भुगतान करने के दिनांक से एक वर्ष
3	संवीक्षा पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन पत्र	परिणाम घोषित होने के दिनांक से 15 दिन

स्पष्टीकरण– जहॉ किसी प्रयोजन के लिए अंतिम दिनांक विहित किया जा चुका है और उस प्रयोजन के लिए फीस भी विहित की गयी है वहॉ फीस ऐसे प्रयोज्य के लिए नियत किये गये दिनांक तक यथास्थिति कोषागार में या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी चाहिए।

अनुसूची–चार

(विनियम 10 देखिए)

क्रं0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम अपेक्षित प्रवेश अर्हता
1.	केमिकल इंजीनियरिंग	3 वर्ष	विज्ञान तथा गणित (प्रारम्भिक गणित नहीं) विषयों के साथ मा0शि0प0 उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा। (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)
2.	केमिकल टेक्नोलाजी (रबर एवं प्लास्टिक)	3 वर्ष	–यथोक्त–
3.	केमिकल टेक्नोलाजी (पेन्ट)	3 वर्ष	–यथोक्त–
4.	सिविल इंजीनियरिंग	3 वर्ष	–यथोक्त–
5.	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0	3 वर्ष	–यथोक्त–
6.	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	3 वर्ष	–यथोक्त–
7.	इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग	3 वर्ष	–यथोक्त–
8.	इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजी0	3 वर्ष	–यथोक्त–
9.	इलेक्ट्रीकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजी0	3 वर्ष	–यथोक्त–
10.	इन्फोर्मेशन टेक्नोलाजी	3 वर्ष	–यथोक्त–
11.	इन्टीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन	3 वर्ष	–यथोक्त–
12.	मैकेनिकल इंजी0	3 वर्ष	–यथोक्त–
13.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन एंड कन्ट्रोल इंजी.	3 वर्ष	–यथोक्त–
14.	मैकेनिकल इंजी0 (आटोमोबाईल इंजी0)	3 वर्ष	–यथोक्त–
15.	आटोमोबाईल इंजीनियरिंग	3 वर्ष	–यथोक्त–
16.	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	3 वर्ष	–यथोक्त–
17.	टेक्सटाईल डिजाइन	3 वर्ष	मा0शि0प0 उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा। (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)
18.	गारमेन्ट टैक्नोलाजी	3 वर्ष	–यथोक्त–
19.	फैशन डिजाइनिंग	3 वर्ष	–यथोक्त–
20.	माडर्न अफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	2 वर्ष	10+2/इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय का होना अनिवार्य है।)
21.	डिप्लोमा इन फार्मेसी	2 वर्ष	भारत के राजपत्र संख्या 19, Part-3, Section-4, Chapter-2 बिन्दु संख्या 4 के अनुसार – 10+2 / इन्टरमीडिएट, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीवन विज्ञान अथवा गणित विषयों के साथ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा जारी नये नियमों के अनुसार फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण मान्य नहीं होगा।
22.	पी0जी0 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	2 वर्ष	–स्नातक उपाधि–
23.	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेन्ट एंड केटरिंग टेक्नोलाजी	3 वर्ष	10+2/ इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ। (Obtained at least 45% marks (40% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying examination)

अनुसूची–पाँच
(विनियम 13 देखिए)
आरक्षण और वरीयता

सीटों का आरक्षण :

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार के सुसंगत शासनादेशों के अधीन निम्नवत् है :–

क्र०सं०	जिनके लिये आरक्षित है	आरक्षित स्थान	कोड
ऊर्ध्वाधर आरक्षण			
1.	अनुसूचित जाति (S.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	19 %	SC
2.	अनुसूचित जनजाति (S.T.) अभ्यर्थियों के लिये।	04 %	ST
3.	अन्य पिछड़े वर्ग (O.B.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	14 %	OBC
4.	N.C.C. प्रमाण पत्र धारकों के लिए (उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार)	प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में A B तथा C हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1, 2, तथा 3% जोड़ा जायेगा	NCC
क्षैतिज आरक्षण			
5.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (D.F.F.) के आश्रितों के लिये।	02 % संस्थागत, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	DFF
6.	भूतपूर्व सैनिकों/अपंग/मृत सैनिकों के आश्रित (MP)	05 % संस्थागत, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	MP
7.	विकलांग अभ्यर्थियों (PH) के लिये।	03 %	PH
8.	महिलाओं (Women) के लिये।	30 %	WO

नोट :
1. जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगा/होगी उसे उसी वर्ग में हारिजैन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।
2. उपरोक्त आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिवर्तनीय है।
3. यदि कोई अभ्यर्थी प्रोविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग, उपवर्ग का प्रमाण–पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रवेश के समय संस्था मे प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता/चयन निरस्त समझा जायेगा।
4. भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासनादेश मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा। आश्रितों की परिभाषा सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुमन्य होगी।
5. आरक्षण प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है। आरक्षण (SC, ST, OBC) का लाभ लेने के लिये उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो उसे काउंसिलिंग में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं माना जायेगा।
6. N.C.C. का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थियों को आवश्यक है कि आवेदन पत्र भरते समय उनके पास A,B अथवा C सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। क्योंकि अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में अंकों का प्रतिशत क्रमशः 1,2 एवं 3 प्रतिशत जोड़ा जाता है अतः काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी N.C.C. का उक्त प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो काउंसिलिंग में प्रवेश का अर्ह नहीं माना जायेगा।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 10–12–2016, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 01/प्रशि० एवं तक०/68–14–01–2017–250 (कम्प्यूटर/रीजियो)।